सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2023–24

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

जे–8–ए, ई.एम.आई. परिसर, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

फोन नम्बर : 0141–2701174

वेबसाइट www.livelihoods.rajasthan.gov.in

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2023–24

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

जे–8–ए, ई.एम.आई. परिसर, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

फोन नम्बर : 0141–2701174

वेबसाइट www.livelihoods.rajasthan.gov.in

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	A प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण) (आई.टी.आई.)	**1-26**
A 1.	प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण) (आई.टी.आई.) प्रस्तावना	2
A 2.	वर्ष 2023–24 की प्रगति एक दृष्टि में	2
A 3.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश क्षमता का विवरण (सत्र 2023–24)	3
A 4.	दस्तकार प्रशिक्षण योजना	4-14
A 5.	Upgradation of 1396 Government ITI's through PPP mode	14
A 6.	शिक्षुता प्रशिक्षण	14-15
A 7.	Upgradation of Existing Government Industrial Training Institutes into Model ITI	15-16
A 8.	Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement Project (STRIVE)	16
A 9.	राजस्थान में संभागवार/जिलेवार स्वीकृत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाऐं :: वर्ष 2023–24	17-18
A 10.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रमानुसार प्रवेश क्षमता वर्ष 2023–2024	19-26
	B रोजगार विभाग, राजस्थान	**27-39**
B 1.	रोज़गार सेवा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	28
B 2.	रोज़गार सेवा की कार्यप्रणाली का आधार	28
B 3.	रोजगार सेवा के आधारभूत कार्य	29
B 4.	रोज़गार विंग का प्रशासनिक ढांचा	30
B 5.	रोज़गार सेवा निदेशालय द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य	31
B 6.	उप क्षेत्रीय एवं जिला रोज़गार कार्यालय के कार्य	31
B 7.	रोजगार विंग द्वारा गत तीन वर्षों में सम्पादित किये गये कार्य एवं उपलब्धियाँ	32
B 8.	स्व–रोज़गार एवं रोज़गार विकास अनुभाग	32-33

B 9.	रोजगार विंग की योजना, मॉडल कैरियर सेन्टर	33
B 10.	व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम की उपलब्धियाँ	34
B 11.	रोज़गार सहायता शिविर	34
B 12.	रोज़गार बाजार सूचना एकत्रीकरण कार्यक्रम	34-35
B 13.	राजस्थान रोज़गार संदेश(पाक्षिक पत्र) का प्रकाशन	36
B 14.	रोजगार विंग का कम्प्यूटरीकरण	36
B 15.	रोजगार सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति की स्थिति	37
B 16.	पदों की स्थिति का विवरण	38-39
	C राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	**40-60**
C 1.	प्रस्तावना	41
C 2.	नीतिगत निर्णय एवं उनकी आदिनांक क्रियान्विति की स्थिति	42-43
C 3.	निगम के उद्देश्य	44
C 4.	योजनाए	45-50
C 5.	कौशल प्रशिक्षण क्षेत्र	50
C 6.	निगम द्वारा क्रियान्वित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के अंतर्गत 31 दिसम्बर 2023 तक प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं का विवरण	51
C 7.	आरएसएलडीसी को देश का सर्वश्रेष्ठ कौशल प्रदाता राज्य पुरस्कार	52
C 8.	कौशल राजस्थान लक्ष्य हेतु प्रमुख अभिनव योजनाएं/कार्य	52-60

A

प्राविधिक शिक्षा

(प्रशिक्षण)

(आई.टी.आई.)

A1. प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण) (आई.टी.आई.)

प्रस्तावना

राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास व संचालन हेतु राज्य सरकार के आदेश कमांक डी–6320/एफ.3(487)शिक्षा/ग्रुप–2/56 दिनांक 17 अगस्त 1956 द्वारा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जोधपुर में है। निदेशालय में निदेशक (शिक्षा) (पॉलीटेक्नीक हेतु) व निदेशक (प्रशिक्षण) (आई.टी.आई. हेतु) कार्यरत है।

वर्ष 2015 में राजस्थान में युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, नियोजन व उद्यमिता से संबंधित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि को बेहतर समन्वय के साथ गति देने के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना No. F27(5)cabinet/2015 Jaipur, Dated: 04.08.2015 के द्वारा "Department of Skills, Employment and Entrepreneurship (DSEE)", (कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग) का गठन किया गया।

नवगठित "कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग" के अन्तर्गत आई.टी.आई. का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुरूप दस्तकार प्रशिक्षण से छात्रों को प्रशिक्षित कर तकनीकी प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराना है एवम् शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत् राजकीय व निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में छात्रों को अप्रेन्टिसशिप एक्ट 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कराना है।

A2. वर्ष 2023–24 की प्रगति एक दृष्टि में

दस्तकार प्रशिक्षण योजनाः–

प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण) (आई.टी.आई.)

भौतिक उपलब्धियाँ

1. राज्य में दस्तकार प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2023–24 में कुल 311 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत हैं। इन 311 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृत व्यवसायों की कुल प्रवेश क्षमता 111784 है। उक्त संस्थानों में 11 राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्रमशः जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर, उदयपुर, बासंवाड़ा, टोंक एवं मण्डोर (जोधपुर) सम्मिलित है।
2. इसके अतिरिक्त 1423 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें कुल प्रवेश क्षमता 261990 है। राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 54 इंजीनियरिंग व्यवसाय एवं 48 नॉन–इंजीनियरिंग व्यवसाय सहित कुल 102 विभिन्न व्यवसाय स्वीकृत है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों एवं व्यवसायों का विवरण **परिशिष्ठ–I , II** पर उपलब्ध हैं।
3. युवाओ का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए आकर्षित करने हेतु प्रत्येक जिले में 01 ब्रांड एम्बेसेडर का चयन किया गया।
4. राज्य में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक एवं सुदृढ बनाने के लिए निजी जनसहभागिता के द्वारा विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों/प्रतिष्ठानों से एम.ओ.यू. किये गयें।
5. केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Upgradation of existing government industrial training Institutes into Model ITI" के अन्तर्गत राज्य की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,उदयपुर को मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । जिसमें केन्द्र व राज्य का हिस्सा 70 व 30 प्रतिशत रहेगा।

A3. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश क्षमता का विवरण (सत्र 2023–24)

पाठ्यक्रम	राजकीय संस्थाऐं		निजी संस्थाएं		योग	
	संस्थाएं	प्रवेश क्षमता	संस्थाएं	प्रवेश क्षमता	संस्थाएं	प्रवेश क्षमता
आई. टी. आई.	311*	111784	1423	261990	1734	373774

* वर्तमान में 306 राजकीय औ.प्र. संस्थान कार्यरत है। शेष 05 राजकीय औ.प्र. संस्थानों में प्रशिक्षण प्रारम्भ करने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

A4 दस्तकार प्रशिक्षण योजना :

A 4.1 वित्तीय प्रबन्धन :

वर्ष 2023–24 में दस्तकार (औद्योगिक) प्रशिक्षण योजना में वित्तीय व्यवस्था निम्नानुसार है:–

(राशि सहस्त्र रूपयों में)

बजट मद	आय व्ययक अनुमान 2023–2024			दिनांक 31.12.23 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
1	2	3	4	5	6	7
मांग संख्या 34						
2230–श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 03– प्रशिक्षण, 003–शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण–(01)–शिल्प प्रशिक्षण योजना	386311	0	386311	357469	0	357469
(05)–अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आइटीआई	88859	0	88859	67970	0	67970
(06)–मॉडल आई टी आई की स्थापना	1500	3500	5000	0	0	0
(07) पर्यटन प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना	25690	0	25690	21352	0	21352
101–03–वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेण्ट प्रोजेक्ट (वर्ल्ड बैंक सहायता अन्तर्गत)	40146	0	40146	32746	0	32746
101–04–स्ट्राइव (स्किल स्ट्रेन्थिंग फोर इण्डस्ट्रियल वैल्यू एन्हेसमेंट) (01)–कौशल संवर्धन	0	120000	120000	0	75000	75000
102–प्रशिक्षु प्रशिक्षण						
02–शिक्षुओं का प्रशिक्षण (01) शिक्षुओं का प्रशिक्षण	1	0	1	0	0	0
(03)–महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा केंद्र योजना (01)–तकनीकी(प्रशिक्षण)शिक्षा, जोधपुर	65000	0	65000	0	0	0

मांग संख्या 30						
796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01)–शिल्प प्रशिक्षण योजना	19402	0	19402	19140	0	19140
(05)– जनजाति क्षेत्रों में युवकों के लिये पाठ्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि),	0	0	0	0	0	0
(09)–महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा केंद्र योजना (01)–तकनीकी(प्रशिक्षण)शिक्षा, जोधपुर	20000	0	20000	0	0	0
मांग संख्या 31 2225–(03)–196–07–देवनारायण योजनान्तर्गत नये आई टी आई केंद्रों का संचालन (तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से (01)–नये आई टी आई केंद्रों का संचालन	33492	0	33492	28996	0	28996
मांग संख्या 51 2230–03–789– अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ठ संघटक योजना, (01)–शिल्प प्रशिक्षण योजना **(संवेतन में अतिरिक्त प्रावधान 200.00 लाख स्वीकृत करवाया जाने के**	45572	0	45572	48986	0	48986
कारण मूल प्रावधान से अधिक व्यय हुआ है।)	**20000**	0	20000			
मांग संख्या 51 2230–03–789–(03)–महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा केंद्र योजना (01)–तकनीकी(प्रशिक्षण)शिक्षा, जोधपुर	15000	0	15000	0	0	0
मांग संख्या 34 4250– अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 203– रोजगार, (04)–प्रशिक्षण, (01)–संयंत्र एवं उपकरण, 18– मशीनरी और	300000	0	300000	216391	0	216391
साजसामान/औजार एवं संयंत्र **1075.00 लाख का अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध करवाया गया**	**107500**	0	107500			
मांग संख्या 34 4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 203–10–अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई टी आई (01)–18– मशीनरी और साजसामान/औजार एवं संयंत्र	50000	0	50000	35280	0	35280

मांग संख्या 34 6250–अन्य समाज सेवाओं के लिये कर्ज, 60–अन्य 800–अन्य कर्ज–(08) राजस्थान पर्यटन सोसायटी उदयपुर को उधार	0	0	0	0	0	0
मांग संख्या 30 4250–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, (01)–प्रशिक्षण, (01)–संयंत्र और उपकरण, 18– मशीनरी और साजसामान/औजार एवं संयंत्र	50000	0	50000	44896	0	44896
मांग संख्या 30 4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, (02)–नवीन आई टी आई के भवन निर्माण, (90)–निर्माण कार्य 17– वृहद निर्माण कार्य	220000	0	220000	151658	0	151658
मांग संख्या 34 4250– अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 203–रोजगार, (02)–प्रशिक्षण, (90)–निर्माण कार्य 17– वृहद निर्माण कार्य	1000000	0	1000000	242295	0	242295
मांग संख्या 34 4250–203–09–अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आइटीआई के भवन निर्माण –(90)–निर्माण कार्य, 17–वृहद निर्माण कार्य	5000	0	5000	0	0	0
मांग संख्या 51 4250–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ठ संघटक योजना, (01)– प्रशिक्षण, (01)–संयंत्र और उपकरण, 18– मशीनरी और साजसामान/औजार एवं संयंत्र	75000	0	75000	41164	0	41164
मांग संख्या 51 4250–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ठ संघटक योजना, (02)–नवीन आई टी आई के भवन निर्माण, (90)–निर्माण कार्य 17– वृहद निर्माण कार्य	350000	0	350000	98214	0	98214
मांग संख्या 31 4225–03–अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 800–अन्य व्यय (03)–देवनारायण योजना (तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से (01)–नए आइ टी आई केंद्रों का भवन निर्माण, 17–वृहद निर्माण कार्य	1	0	1	0	0	0
Total (SF+CA)	2918474	123500	3041974	1406557	75000	1481557

(राशि सहस्त्र रूपयों में)

बजट मद	आय व्ययक अनुमान 2023–2024			दिनांक 31.12.23 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
मांग संख्या 34						
2230–श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 03–प्रशिक्षण, 003–शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण–(08)शिल्प प्रशिक्षण योजना, (01) शिल्प प्रशिक्षण योजना प्रतिबद्ध	1394163	0	1394163	986519	0	986519
प्रभृत	1	0	1	0		
2230–03–102–प्रशिक्षु प्रशिक्षण, 01–शिक्षुओं का प्रशिक्षण, (01) शिक्षुओं का प्रशिक्षण प्रतिबद्ध	52728	0	52728	44747	0	44747
मांग संख्या 30						
2230–श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 03–प्रशिक्षण, 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, (08)–शिल्प प्रशिक्षण योजना, (01) शिल्प प्रशिक्षण योजना प्रतिबद्ध	55174	0	55174	40919	0	40919
Total commited	1502065		1502065	1072185	0	1072185
प्रभृत	1	0	1	0	0	0

A4.2 स्वीकृत पद, रिक्त पद एवं पदोन्नतियां :

श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग में वर्ष 2023–24 (1अप्रेल 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक) में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत	रिक्त पदों की संख्या
1	निदेशक, प्रशिक्षण	01	00	01
	निदेशक शिक्षुता एवं राज्य शिक्षुता सलाहकार, जयपुर	01	00	01
2	संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण	15	07	08
3	उपराज्य शिक्षुता सलाहकार एंव उपनिदेशक प्रशिक्षण / उपनिदेशक प्रशिक्षण	40	33	07
4	सहायक निदेशक प्रशि0 / आचार्य औ0प्र0सं0 / प्रबंधक, उ0 केन्द्र	88	18	70
5	उपाचार्य / अधीक्षक औ0प्र0सं0	219	124	95*
6	वित्तीय सलाहकार	01	00	01
7	लेखाधिकारी	02	02	00
8	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	01	01	00
9	वरिष्ठ विधि अधिकारी	02	01	01
10	प्रोग्रामर	01	00	01
11	समूह अनुदेशक / सर्वेयर / सहायक शिक्षुता सलाहकार	334	175	159*
12	वरिष्ठ अनुदेशक	215	161	54
13	कनिष्ठ अनुदेशक (व्यवसाय)	2565	375	2190*
14	का0ग0एंव वि0 / इंजी0 ड्राईंग अनुदेशक	548	63	485*
15	लीव रिजर्व	07	07	00
16	स्टोर अनुदेशक	02	02	00
17	एम्प्लोयबिलिटी स्किल्स अनु0	180	0	180*
18	आई.टी.लैब अनुदेशक	283	0	283*
19	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	11	10	01
20	कनिष्ठ लेखाकार	43	31	12
21	कनिष्ठ विधि अधिकारी	01	01	00
22	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	04	04	00
23	संगणक	02	01	01
24	सहायक प्रोग्रामर	01	01	00
25	सूचना सहायक	01	00	01
26	वाहन चालक	03	01	02
27	निजी सचिव	01	00	01
28	अतिरिक्त निजी सचिव	01	01	00
29	निजी सहायक ग्रेड–I	04	03	01
30	निजी सहायक ग्रेड–II (शीघ्र लिपिक)	05	05	00
31	संस्थापन अधिकारी	06	06	00
32	प्रशासनिक अधिकारी	20	19	01
33	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	54	49	05
34	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	116	116	00

35	वरिष्ठ सहायक	170	158	12
36	कनिष्ठ सहायक	380	31	349**
37	मशीन मैन	02	02	00
38	दफतरी	03	03	00
39	जमादार	13	07	06
40	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	586	227	359 ***
41	कार्यशाला परिचारक	110	32	78 ***
42	संग्रह अनुचर	02	02	00
43	अटेन्डेण्ट स्केल नं0 1	23	09	14 ***
44	चौकीदार	12	0	12 ***
45	सफाई कर्मी	06	0	06 ***
46	मल्टी टास्क सर्विस	14	0	14
	योग	6099	1688	4411

उपरोक्त तालिका में आरसीवीईटी के पद सम्मिलित नही है

नोटः– *

1. उपाचार्य/अधीक्षक औ.प्र.सं. के 36 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने हेतु अर्थना प्रशासनिक विभाग को भिजवाई जा चुकी है।
2. समूह अनुदेशक के 36 पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अन्तिम चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3. अनुदेशकों के 417 (मूल विज्ञापित 402 + 15 पद वृद्धि) रिक्त पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन संख्या 08/2018 के तहत् राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 414 पदों हेतु अभिशंषा जारी की गई है। अन्तिम चयनित अभ्यर्थियों में से 371 को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। 43 पदों पर नियुक्ति कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्य.ग.व विज्ञान के 03 पदों हेतु संबंधित वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए।
4. कनिष्ठ अनुदेशक के 2500 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को अर्थना भिजवाई जा चुकी ।

**

1. विभाग के अधीन कनिष्ठ सहायक पद के सीधी भर्ती अभ्यांश के 75 रिक्त पदों की वर्गवार सूचना तैयार कर प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर को प्रेषित की जा चुकी है।

***

1. विभिन्न अधीनस्थ संस्थानों के 502 पदों (कार्यशाला परिचारक, च.श्रे.कर्म./अ.स्के.नं.–I, सफाईकर्मी व चौकीदार) पर एकजाई भर्ती हेतु वर्गवार सूचना तैयार कर प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर को सीधी भर्ती हेतु प्रेषित की गई है।

A 4.3 विभागीय चयन समिति की बैठकें :

निदेशक प्रशिक्षण/निदेशक आरसीवीईटी के पद की वर्ष 2020–21 की डीपीसी दिनांक 29.08.2023 को आयोजित की जा चुकी है।

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण एवं उप निदेशक प्रशिक्षण के पद की वर्ष 2023–24 की डीपीसी दिनांक 29.08.2023 को आयोजित की जा चुकी है।

सहायक निदेशक प्रशिक्षण/ आचार्य औप्रसं/प्रबंधक आर.आई. केन्द्र एवं उपाचार्य/अधीक्षक औ.प्र.संस्थान के पद की 2023–24 की डीपीसी सेवा नियमों में संशोधन उपरान्त की जा सकेगी। सेवानियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपाचार्य/अधीक्षक औ.प्र.संस्थान के पद की वर्ष 2023–24 की डीपीसी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अधीनस्थ सेवा में समूह अनुदेशक/सर्वेयर/सहायक शिक्षुता सलाहकार एवं वरिष्ठ अनुदेशक पद की वर्ष 2023–24 की डीपीसी हेतु प्रश्नावली भिजवाई जा चुकी है।

मंत्रालियक सेवा के सभी पदों यथा संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक के पदों की वर्ष 2023–24 की डीपीसी आयोजित की जा चुकी है।

A 4.4 नियुक्तियां :

वर्ष 2023–24में (01 अप्रेल, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक) सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों को कनिष्ठ अनुदेशक पद पर 25 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई।

इसके मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के तहत कनिष्ठ सहायक पद पर 01 अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान की गई।

A 4.5 स्थानान्तरण :

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो के अनुसार सत्र 2023–24 में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं प्रशासनिक कारणों से तथा स्वयं की प्रार्थना पर स्वैच्छिक स्थानान्तरण किये गये।

A 4.6 पेंशन प्रकरणों की स्थिति :

विभाग में वर्ष 2023–24 में दिनांक (01 अप्रेल, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023) तक 59 कार्मिक सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त/निधन हुए, इस अवधि में 27 कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण निस्तारित हुए । शेष प्रकरण में पेंशन विभाग/संस्थान स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

A 4.7 विभागीय जांच :

विभाग द्वारा विभागीय जांच प्रकरणों के निस्तारण के तहत लम्बित विभागीय जांच प्रकरणों को निपटाने की कार्यवाही की गई। दिनांक 01 अप्रेल, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक की अवधि में सीसीए नियम 16 में 01 कार्मिक को आरोप पत्र जारी किया गया तथा 03 कार्मिकों के सीसीए 16 के प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा सीसीए नियम 17 में 01 कार्मिक को आरोप पत्र जारी किया गया। उपरोक्त अवधि में 01 कार्मिक को निलम्बित किया गया तथा 01 कार्मिक के निलम्बन प्रकरण का निस्तारण किया गया।

A 4.8 विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के प्रशिक्षणः–

वर्ष 2023–24 में हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जोधपुर के माध्यम से Office Procedue and Administration and Conduct Rules, Savottam Project, SPIO and SAPIO on RTI, Awareness Generation Workshop on RTI Act 2005, विषय पर 11 अधिकारियों व 16 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलवाया गया है एवं Training on Foundation Course in Publc Procuement under RTPP Act and Rules विषय पर Finance (EAD) Department, Jaipur,Rajasthan में 03 अधिकारियों को प्रशिक्षण में भेजा गया।

A 4.9 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने बाबत :

1 अप्रेल, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक निदेशालय में 129 ऑन लाईन व ऑफ लाईन आवेदन–पत्र प्राप्त हुए। इनमें से सभी आवेदकों को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है / अथवा प्रतिलिपि शुल्क की मांग की गई है।

A 4.10 वरिष्ठता सूची का प्रकाशनः

विभाग में राजपत्रित सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं मंत्रालयिक सेवा संवर्ग के सभी पदों की दिनांक 01.04.2023 की स्थिति अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की जा चुकी है।

A 4.11 संसद एवं विधानसभा प्रश्नावली :

विभाग में प्राप्त होने वाले लोकसभा / राज्यसभा एवं विधानसभा से संबंधित तारांकित / अतारांकित प्रश्नों के प्रत्युत्तर राज्य सरकार को निर्धारित अवधि के भीतर भिजवाये गये।

A 4.12 सम्पर्क पोर्टल :

सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से माह अप्रेल 2023 से दिसम्बर, 2023 तक 439 प्रार्थना पत्र / परिवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 377 का निस्तारण किया जा चुका हैं। शेष निस्तारण हेतु प्रक्रियाधीन है ।

A 4.13 परीक्षा अनुभागः

1.<u>आर.सी.वी.ई.टी. का संगठनात्मक ढांचाः–</u>

- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.15(5)त.शि. / 2000 जयपुर, दिनांक 12 अक्टूबर, 2009 द्वारा राज्य में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (RCVET) का गठन किया गया।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.15(5)त.शि. / 2000 पार्ट, जयपुर, दिनांक 12 मार्च, 2020 द्वारा राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (RCVET) का पुनर्गठन किया गया।
- राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (RCVET) का रजिस्ट्रेशन राजस्थान संस्था पंजीयन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जोधपुर एवं रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जोधपुर द्वारा प्रमाण पत्र क्रमांक 239 / जोधपुर / 9–10 / दिनांक 08.01.2010 के द्वारा दिया गया है। जिसके अन्तर्गत राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (RCVET) सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में वर्णित कार्यो के अनुसार राजकीय / प्राईवेट औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन का दायित्व सम्भाल रही है।

2. स्वीकृत–कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण–

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	निदेशक	01	—	01
2	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	01	01	—
3	संयुक्त निदेशक	01	—	01
4	उपनिदेशक	01	01	—
5	प्रोग्रामर	01	01	—
6	सूचना सहायक	06	05	01
7	वरिष्ठ सहायक	01	01	—
8	क0 लेखाकार	01	—	01
9	समूह अनुदेशक	01	01	—
	कुल	**14**	**10**	**04**

संविदा पर कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण–

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	02	—
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02	02	—
	कुल	04	04	—

3. विभागीय प्रमुख कार्य एवं आलौच्य वर्ष में प्रगति–

प्रमुख कार्यः–

- RCVET द्वारा निम्न परीक्षाऐं विभिन्न योजनान्तर्गत वर्ष में दो बार आयोजित करवाई जाती है–
  1. एन.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा (AITT)
  2. एस.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत राज्य व्यावसायिक परीक्षा (SCVT)
- DGT भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार अगस्त 2018 से आई.टी.आई. में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षाएं वार्षिक पद्वति के तहत आयोजित की जा रही है। वर्ष 2018 से पूर्व के भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थीयों की परीक्षाएं सेमेस्टर प्रणाली अनुसार आयोजित की जा रही है।
- एन.सी.वी.टी. के अन्तार्गत राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित होती है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं हेतु DGT भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार NCVT योजनान्तर्गत अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षाओं में नियमित प्रशिक्षणार्थियों की सैद्धान्तिक विषयों (ट्रेड थ्यौरी, वर्क शॉप केलकुलेशन एण्ड सांइस व इम्पलोएविलिटी स्किल एवं इंजीनियरिंग ड्राईग) की परीक्षाएं One Exam Session में ऑनलाईन CBT (Computer Based Test) आधारित DGT नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जा रही है। जिसकी समस्त व्यवस्थाएं DGT भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा नामित एजेन्सी NSEIT के माध्यम से की जा रही है। DGT भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा ऑनलाईन CBT परीक्षाओं की पृथक से निर्धारित परीक्षा शुल्क DGT Portal के माध्यम से लिया जाता है तथा प्रायोगिक परीक्षाए ऑफलाईन सम्पादित हो रही हैं व इनके पेपर बनवाने तथा मूल्यांकन का कार्य RCVET स्तर पर किया जाता है। एन.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण–पत्र DGT भारत सरकार द्वारा प्रदत्त होता है।

- एस.सी.वी.टी. के अन्तर्गत राज्य स्तर की परीक्षाएं आयोजित होती है। इन परीक्षाओ हेतु प्रश्न पत्र बनाने, मूल्यांकन इत्यादि सभी कार्य RCVET स्तर पर ही सम्पादित किये जाते है। सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण–पत्र RCVET द्वारा प्रदत्त होता है।
- राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् निम्नलिखित वित्तीय स्त्रोतों से आय अर्जित करती है।
  1. परीक्षा शुल्कः रूपये 200/–प्रति प्रशिक्षणार्थी NCVT हेतु
  2. परीक्षा शुल्कः रूपये 400/–प्रति प्रशिक्षणार्थी SCVT हेतु
  3. प्रमाण–पत्र सत्यापन शुल्क : 100/–
  4. उत्तरपुस्तिका/ओ.एम.आर. शीट/इंजीनियरिंग ड्राईंग शीट की Scan Copy का शुल्क : 250/–

आलौच्य वर्ष में प्रगति–

1. आरसीवीईटी द्वारा अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा के अन्तर्गत जुलाई 2023 में नियमित प्रशिक्षणार्थियों की एनसीवीटी प्रायोगिक (वार्षिक पद्वति) परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। जुलाई 2023 परीक्षाओं हेतु राज्य में कुल 1501 परीक्षा केन्द्र बनाए गये। जुलाई 2023 एनसीवीटी की परीक्षा में कुल 151947 प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। दिसम्बर 2023 में एनसीवीटी Supplementay & Left over trainees of annual system/DST की प्रायोगिक एवं इंजीनियरिंग की परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। दिसम्बर 2023 परीक्षाओं हेतु राज्य में कुल 1498 परीक्षा केन्द्र बनाए गये। दिसम्बर 2023 एनसीवीटी की ED तथा प्रायोगिक परीक्षाओं में कुल 20211 प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा सीबीटी की परीक्षाओं में 46324 प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित हुए।
2. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार जुलाई 2023 एनसीवीटी वार्षिक परीक्षाओं के प्रायोगिक परीक्षा के पेपर बनवाने का कार्य आर.सी.वी.ई.टी. जोधपुर स्तर से किया गया। एससीवीटी पाठ्यक्रमों की जुलाई 2023 की मुख्य परीक्षाओं हेतु सभी विषयों के परीक्षा प्रश्न–पत्र आरसीवीईटी स्तर पर तैयार कराये गये है। इस सत्र हेतु विभिन्न योजनाओं के कुल 570 परीक्षा प्रश्न–पत्र आरसीवीईटी स्तर पर बनवाए गये।
3. एनसीवीटी परीक्षाओं के सुचारू आयोजन हेतु राज्य में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक जिला स्तरीय "**जिला परीक्षा संचालन समितियों**" का गठन कराया गया। प्रायोगिक परीक्षाओं में परीक्षकों की व्यवस्था हेतु आई.टी.आई. तकनीकी स्टाफ के साथ–साथ राज्य के विभिन्न तकनीकी विभागों यथा **Energy, RSRTC, PWD तथा PHED** के तकनीकी कार्मिकों का भी सहयोग लिया गया।
4. DGT नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक Mapped किये गये परीक्षकों द्वारा ही परीक्षा समाप्ति के 48 घंटो में Upload करने का समय दिया गया था जिसके अन्तर्गत जिला नोडल केंद्र को Mapped किये गये परीक्षकों से ही प्रायोगिक परीक्षा के अंक NCVT MIS Portal पर अपलोड करवाने बाबत सुनिश्चित् करवाया गया। DGT के उक्त निर्देशानुसार RCVET द्वारा NCVT परीक्षा जुलाई 2023 की प्रायोगिक परीक्षा के शत–प्रतिशत अंक नियत समय में बिना कोई Pendency के NCVT MIS Portal पर अपलोड करवाये गये।
5. आरसीवीईटी द्वारा जुलाई 2023 की एस.सी.वी.टी. योजनान्तर्गत राज्य व्यावसायिक परीक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

विगत 03 वर्षो के परीक्षा परिणाम का तुलनात्मक विवरण–

NCVT Exam Result Statics of Last Three Years

S.No.	Year	Appear	Pass	%age
1	2021	150103	74684	49.75
2	2022	110295	61804	56.03
3	2023	168882	94927	56.20

SCVT Exam Result Statics of Last Three Years

S.No.	Year	Appear	Pass	%age
1	2021	3025	2632	87.00
2	2022	3559	2941	82.63
3	2023	3392	3065	90.35

A. 5. Upgradation of 1396 Government ITI's through PPP mode:

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक राज्य की 105 राजकीय औ. प्र. संस्थानों को केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Upgradation of 1396 Government ITI's through Public Private Partnership" के अन्तर्गत क्रमोन्नत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक संस्थान में प्रतिष्ठित उद्योग संघों से सम्बद्धता प्राप्त उद्योगपति की अध्यक्षता में संस्थान प्रबंधन समिति (आई.एम.सी.) का गठन कर इन का पंजीकरण सोसायटी के रुप में किया गया है। योजनान्तर्गत क्रमोन्नत औ. प्र. संस्थानों को डी. जी.टी. भारत सरकार के माध्यम से 2.50 करोड़ रूपये प्रति संस्थान कों ब्याज मुक्त ऋण के रूप में आई. एम.सी. के बचत खाते में हस्तांतरित की जा चुकी है। इस राशि से आई.एम.सी के प्रयास से संस्थानों में प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित की जा रही है। अर्थात संस्थानों में संचालित व्यवसाय/एककों को क्रमोन्नत (upgrade) के साथ–साथ संस्थानों में नवीन व्यवसाय/एककों के संसाधन विकसित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

इस योजनान्तर्गत क्रमोन्नत कुल 105 राजकीय औ.प्र.संस्थानों में सुपरन्यूरेरी स्थानों पर अधिकतम प्रवेश का 20 प्रतिशत प्रवेश संस्थान प्रबंधन समिति (आई.एम.सी.) द्वारा किये जा रहें हैं।

A 6. शिक्षुता प्रशिक्षण :

A 6.1 शिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण योजना का संचालन किया जाता है। इसके अर्न्तगत 30 या अधिक कार्मिक नियुक्त करने वाले केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों/उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर लागू होता हैं, जिनके माध्यम से न्युनतम 6 माह से 3 वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। निदेशक, (प्रशिक्षण) प्राविधिक शिक्षा पदेन राज्य शिक्षुता सलाहकार होते हैं, तथा अधिनियम की धारा 27 (1) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा संयुक्त /उप/ सहायक शिक्षुता सलाहकार नियुक्त किये जाते हैं।

शिक्षुता प्रशिक्षण के अन्तर्गत शिक्षुओं को न्यूनतम वृत्तिका का भुगतान नियोजक द्वारा किया जाता है जिसकी दरें निम्नानुसार हैं:–

क्र.स.	श्रेणी	न्यूनतम वृत्तिका
(i)	स्कूल पास आउट (कक्षा 10वीं)	रू. 6000 प्रतिमाह
(ii)	स्कूल पास आउट (कक्षा 12वीं)	रू. 7000 प्रतिमाह
(iii)	राष्ट्रीय या राज्य प्रमाण–पत्र धारक	रू. 7000 प्रतिमाह

प्रतिष्ठानों व शिक्षुओं के पंजीकरण सहित शिक्षुओं के नियोजन की कार्यवाही भारत सरकार के वेब–पोर्टल [www.apprenticeshipindia.gov.in] के माध्यम से ऑन–लाईन की जाती हैं।

नियोजकों को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार ने National Apprenticeship Promotion Scheme-2 (NAPS-2) लागू की है जिसके अन्तर्गत नियोजकों की ओर से शिक्षुओं को भुगतान की जाने वाली वृत्तिका राशि का 25 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1500/–प्रति शिक्षु प्रति माह) भारत सरकार द्वारा DBT के माध्यम से सीधे ही शिक्षु के बैंक खाते में, प्रतिष्ठान की वृत्तिका शिक्षु के बैंक खाते में पहुंचने के उपरान्त किये जाने का प्रावधान हैं।

A 6.2 शिक्षुता प्रशिक्षण योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 के दौरान 01.12.2023 तक की महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

राज्य में स्थित प्रतिष्ठानों को शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रतिष्ठानों का ऑनलाइन पंजीकरण एवं प्रशिक्षण हेतु शिक्षुओं का ऑनलाइन पंजीकरण भारत सरकार के वेब–पोर्टल के माध्यम से करने की कार्यवाही जारी हैं। 01 दिसम्बर 2023 तक की प्रगति इस प्रकार हैं:–

क्र.सं.	विवरण	उपलब्धियां
1.	वेब–पोर्टल पर पंजीकृत हुए प्रतिष्ठानों की संख्या	3317
2.	वेब–पोर्टल के माध्यम से उद्योगों/प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षणरत शिक्षुओं की संख्या	9478 (संचयी) 2084 (प्रशिक्षणरत)
3.	वेब पोर्टल पर पंजीकृत हुए प्रतिष्ठानों में उपलब्ध प्रशिक्षण स्थानों की संख्या	52411

A 6.3 डिग्री, डिप्लोमा उत्तीर्ण, अभ्यार्थियों को अप्रेन्टिसशिप योजना के अन्तर्गत अधिक संख्या में नियोजित करने हेतु BOAT (Board of Apprenticeship Training) कानपुर का एक उप–कार्यालय निदेशक शिक्षुता सलाहकार कार्यालय, जयपुर परिसर में संचालित है।

A. 7 Upgradation of Existing Government Industrial Training Institutes into Model ITI :

देश में वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य की एक राजकीय औ. प्र. संस्थान, उदयपुर को Upgradation of Existing Government Industrial Training Institutes (ITIs) in to Model ITIs के अन्तर्गत मॉडल आई.टी.आई. के रूप में क्रमोन्नत किया जा रहा है इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कुल Project Cost राशि रू. 05.00 करोड़ निर्धारित की गई हैं, जिसमें क्रमशः केन्द्र एवं राज्यांश यथा 70 एवं 30 प्रतिशत है। डी.जी.टी. नई दिल्ली द्वारा योजना संचालन हेतु जारी गाईड–लाईन अनुसार निम्न कार्यवाही की जा चुकी है।

1. योजनान्तर्गत औ. प्र. संस्थान, उदयपुर को आई.एम.सी. ऑफ आई.टी.आई. उदयपुर का गठन किया जा कर इसका पंजीकरण सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत कराया गया है।

2. योजना संचालन हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं उद्योग–सहभागी के मध्य एक त्रिपक्षीय एम.ओ.ए. हस्ताक्षरित किया जा कर केन्द्र सरकार द्वारा राशि कुल 315 लाख रूपये लाख रूपये तथा राज्य सरकार द्वारा 135 लाख रूपये जारी की जा चुकी है। उक्त आवंटित राशि आई.एम.सी. ऑफ आई.टी.आई. स्तर पर उपयोग की कार्यवाही की जा रही है।
3. मॉडल आई.टी.आई. की स्थापना कर दो नवीन (NCVT) व्यवसायों क्रमशः मैकेनिक डीजल एवं ऑटो बॉडी पेन्टिंग में प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा चुका है।

A.8 Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement Project (STRIVE)

Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) Project विश्व बैंक से सहायता–प्राप्त कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित परियोजना है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और शिक्षुओं के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना है। डीजीटी, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा केन्द्र सरकार के STRIVE PROJECT का Operations Manual (OM) दिनांक 03 जनवरी, 2019 को जारी किया गया। इस प्रोजेक्ट की अवधि नवम्बर 2022 तक थी जिसे मई 2024 तक बढा दिया गया है।

स्ट्राईव प्रोजेक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित 4 Result Areas को शामिल करता है::–

1. Improving Performance of Industrial Training Institutes
2. Increased Capacities of State Governments to Support Industrial Training Institutes Training
3. Improved Teaching and Learning
4. Improved and Broadened Apprenticeship Training

1. राज्य के कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा इस प्रोजेक्ट के तहत 14 राजकीय औ. प्र. संस्थानों (जयपुर, महिला जयपुर, जैतारण, झालावाड़, जोधपुर, महिला जोधपुर, महिला अजमेर, सांगोद, ब्यावर, श्रीगंगानगर, किशनगढ, पाली, उदयपुर एवं कोटा) का चयन कर पूर्ण सहभागिता निभाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट को राज्य में संचालन हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य MoU / Performance Based Funding Agreement (PBFA) हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

2. केन्द्र सरकार का प्रोजेक्ट STRIVE को राज्य की औ. प्र. संस्थानों में संचालित करने हेतु नवीन बजट मद खोला गया है।

3. केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम किश्त में कुल प्रावधित राशि रू. 4709.00 लाख के विरूद्ध राशि रु. 1571.80 लाख एवं द्वितीय किश्त में कुल 750.00 लाख की राशि राज्य सरकार के माध्यम से विभागीय सोसायटी में हस्तांतरित की जा चुकी है जिसका उपयोग प्रोजेक्ट के Operations Manual के अनुसार निदेशालय स्तर पर गठित SPIU एवं चयनित 14 संस्थानों में गठित आई.एम.सी. द्वारा उपयोग किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

A.9 राजस्थान में संभागवार/जिलेवार स्वीकृत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाऐं :: वर्ष 2023–24

क्र. स.	संभाग		जिले का नाम	राजकीय औ.प्र. सस्थान		निजी औ.प्र.सस्थान		योग (राजकीय एवं निजी औ.प्र.सस्थान)	
				औ.प्र.स. की संख्या	प्रवेश क्षमता	औ.प्र.स. की संख्या	प्रवेश क्षमता	कुल औ.प्र.स. की संख्या	कुल प्रवेश क्षमता
1	अजमेर	1	अजमेर	10	4288	45	7768	55	12056
		2	भीलवाड़ा	15	5352	26	5432	41	10784
		3	नागौर	8	3068	72	13616	80	16684
		4	टोंक	4	1320	45	8272	49	9592
			योग	**37**	**14028**	**188**	**35088**	**225**	**49116**
2	बीकानेर	5	बीकानेर	11	3816	19	3632	30	7448
		6	चूरू	4	1512	44	8216	48	9728
		7	श्रीगंगानगर	7	2716	30	5024	37	7740
		8	हनुमानगढ	5	2124	30	5232	35	7356
			योग	**27**	**10168**	**123**	**22104**	**150**	**32272**
3	भरतपुर	9	भरतपुर	12	3752	92	15056	104	18808
		10	धौलपुर	5	1652	34	4532	39	6184
		11	करौली	4	1240	41	9576	45	10816
		12	सवाई माधोपुर	6	2260	29	6704	35	8964
			योग	**27**	**8904**	**196**	**35868**	**223**	**44772**
4	जयपुर	13	अलवर	22	6984	108	20440	130	27424
		14	दौसा	7	2248	109	24040	116	26288
		15	जयपुर	15	5568	249	44536	264	50104
		16	झुंझनू	6	2196	75	15718	81	17914
		17	सीकर	7	2040	113	18844	120	20884
			योग	**57**	**19036**	**654**	**123578**	**711**	**142614**
5	जोधपुर	18	बाडमेर	19	6876	22	3472	41	10348
		19	जैसलमेर	6	2148	3	564	9	2712
		20	जालोर	7	2660	3	688	10	3348
		21	जोधपुर	21	8012	40	6624	61	14636

क्र. स.	संभाग		जिले का नाम	राजकीय औ.प्र. सस्थान		निजी औ.प्र.सस्थान		योग (राजकीय एवं निजी औ.प्र.सस्थान)	
				औ.प्र.स. की संख्या	प्रवेश क्षमता	औ.प्र.स. की संख्या	प्रवेश क्षमता	कुल औ.प्र.स. की संख्या	कुल प्रवेश क्षमता
		22	पाली	7	2476	11	1712	18	4188
		23	सिरोही	5	2048	3	760	8	2808
			योग	**65**	**24220**	**82**	**13820**	**147**	**38040**
6	कोटा	24	बारां	7	2384	25	3596	32	5980
		25	बूंदी	6	1976	31	4816	37	6792
		26	झालावाड़	8	2236	18	2156	26	4392
		27	कोटा	9	3184	58	10128	67	13312
			योग	**30**	**9780**	**132**	**20696**	**162**	**30476**
7	उदयपुर	28	बांसवाड़ा	11	4444	6	1460	17	5904
		29	चितौड़गढ	12	4208	19	4908	31	9116
		30	डूंगरपुर	11	4120	6	884	17	5004
		31	प्रतापगढ	5	2024	1	180	6	2204
		32	राजसमन्द	8	3032	5	792	13	3824
		33	उदयपुर	21	7820	11	2612	32	10432
			योग	**68**	**25648**	**48**	**10836**	**116**	**36484**
			महायोग	**311**	**111784**	**1423**	**261990**	**1734**	**373774**

A.10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रमानुसार प्रवेश क्षमता वर्ष 2023–2024

क्र. सं.	व्यवसाय का नाम	स्वीकृत स्थान												कुल स्वीकृत स्थान	
		NCVT				SCVT				TOTAL					
		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी			
		Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Engineering Trade 01 Year														
1	Domestic Painter	0	0	0	0	6	144	0	0	6	144	0	0	6	144
2	Forger And Heat treater	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
3	Foundryman	3	60	0	0	1	20	0	0	4	80	0	0	4	80
4	Interior Decoration and Designing	10	240	2	48	14	336	0	0	24	576	2	48	26	624
5	Mason (Building Constructor)	0	0	0	0	1	24	0	0	1	24	0	0	1	24
6	Mechanic (Tractor)	16	320	0	0	18	360	0	0	34	680	0	0	34	680
7	Mechanic Auto Body Painting	2	40	0	0	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40
8	Mechanic Auto Body Repair	0	0	0	0	6	120	0	0	6	120	0	0	6	120
9	Mechanic Auto Electrical and Electronics	2	40	4	80	12	240	0	0	14	280	4	80	18	360
10	Mechanic Diesel	171	4104	663	15912	252	6048	0	0	423	10152	663	15912	1086	26064
11	Mechanic Two and Three Wheeler	2	40	3	60	6	120	0	0	8	160	3	60	11	220
12	Plastic Processing Operator	4	80	3	60	8	160	0	0	12	240	3	60	15	300
13	Plumber	73	1752	76	1824	59	1416	0	0	132	3168	76	1824	208	4992

क्र. सं.	व्यवसाय का नाम	स्वीकृत स्थान												कुल स्वीकृत स्थान	
		NCVT				SCVT				TOTAL					
		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी			
		Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Pump Operator-Cum-Mechanic	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
15	Sheet Metal Worker	4	80	0	0	4	80	0	0	8	160	0	0	8	160
16	Solar Technician (Electrical)	2	40	6	120	166	3320	0	0	168	3360	6	120	174	3480
17	Stone Mining Machine Operator	2	48	0	0	8	192	0	0	10	240	0	0	10	240
18	Stone Processing Machine Operator	2	48	0	0	10	240	0	0	12	288	0	0	12	288
19	Welder	198	3960	51	1020	174	3480	0	0	372	7440	51	1020	423	8460
20	Welder (Fabrication & Fitting)	0	0	0	0	28	560	0	0	28	560	0	0	28	560
21	Welder (Pipe)	0	0	0	0	6	120	0	0	6	120	0	0	6	120
22	Welder (Structural)	0	0	0	0	4	80	0	0	4	80	0	0	4	80
23	Welder (Welding & Inspection)	2	40	0	0	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40
24	Wood Work Technician	23	552	0	0	26	624	0	0	49	1176	0	0	49	1176
	E1 Total	516	11444	808	19124	813	17764	0	0	1329	29208	808	19124	2137	48332
	Engineering Trade 02 Year														
1	Architectural Draughtsman	6	144	2	48	4	96	0	0	10	240	2	48	12	288
2	Attendant Operator (Chemical Plant)	2	48	2	48	4	96	0	0	6	144	2	48	8	192

क्र. सं.	व्यवसाय का नाम	स्वीकृत स्थान												कुल स्वीकृत स्थान	
		NCVT				SCVT				TOTAL					
		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी			
		Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Civil Engineering Assistant	0	0	0	0	2	48	0	0	2	48	0	0	2	48
4	Draughtsman (Civil)	23	552	20	480	40	960	0	0	63	1512	20	480	83	1992
5	Draughtsman (Mechanical)	8	192	8	192	2	48	0	0	10	240	8	192	18	432
6	Electrician	340	6800	9598	191960	421	8420	0	0	761	15220	9598	191960	10359	207180
7	Electrician Power Distribution	0	0	2	40	0	0	0	0	0	0	2	40	2	40
8	Electronics Mechanic	113	2712	49	1176	102	2448	0	0	215	5160	49	1176	264	6336
9	Fitter	268	5360	1143	22860	258	5160	0	0	526	10520	1143	22860	1669	33380
10	Information Communication Technology System Maintenance	29	696	14	336	46	1104	0	0	75	1800	14	336	89	2136
11	Information Technology	4	96	0	0	6	144	0	0	10	240	0	0	10	240
12	Instrument Mechanic	6	144	2	48	8	192	0	0	14	336	2	48	16	384
13	Instrument Mechanic (Chemical Plant)	2	40	0	0	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40
14	Laboratory Assistant (Chemical Plant)	2	40	0	0	2	40	0	0	4	80	0	0	4	80
15	Lift and Escalator Mechanic	0	0	2	48	2	48	0	0	2	48	2	48	4	96
16	Machinist	13	260	0	0	24	480	0	0	37	740	0	0	37	740

क्र. सं.	व्यवसाय का नाम	स्वीकृत स्थान												कुल स्वीकृत स्थान	
		NCVT				SCVT				TOTAL					
		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी			
		Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Mechanic (Motor Vehicle)	50	1200	14	336	84	2016	0	0	134	3216	14	336	148	3552
18	Mechanic Agriculture Machinery	0	0	0	0	2	48	0	0	2	48	0	0	2	48
19	Mechanic Air-conditioning Plant	0	0	0	0	16	320	0	0	16	320	0	0	16	320
20	Mechanic Consumer Electronics Appliances	0	0	3	72	0	0	0	0	0	0	3	72	3	72
21	Mechanic Electric Vehicle	0	0	0	0	4	96	0	0	4	96	0	0	4	96
22	Painter General	2	40	0	0	10	200	0	0	12	240	0	0	12	240
23	Pattern Maker	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
24	Refrigeration & Air Conditioning Technician	92	2208	45	1080	212	5088	0	0	304	7296	45	1080	349	8376
25	Surveyor	4	96	4	96	0	0	0	0	4	96	4	96	8	192
26	Technician Mechatronics	0	0	0	0	2	48	0	0	2	48	0	0	2	48
27	Technician Power Electronics System	0	0	0	0	4	96	0	0	4	96	0	0	4	96
28	Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures)	2	48	0	0	4	96	0	0	6	144	0	0	6	144
29	Turner	47	940	0	0	32	640	0	0	79	1580	0	0	79	1580
30	Wireman	113	2260	201	4020	156	3120	0	0	269	5380	201	4020	470	9400

क्र. सं.	व्यवसाय का नाम	स्वीकृत स्थान												कुल स्वीकृत स्थान	
		NCVT				SCVT				TOTAL					
		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी			
		Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	E2 Total	1126	23876	11109	222840	1449	31092	0	0	2575	54968	11109	222840	13684	277808
	Non- Engineering Trade 01 Year														
1	Baker and Confectioner	0	0	0	0	2	48	0	0	2	48	0	0	2	48
2	Computer Aided Embroidery And Designing	0	0	1	20	2	40	0	0	2	40	1	20	3	60
3	Computer Hardware & Network Maintenance	8	192	6	144	12	288	0	0	20	480	6	144	26	624
4	Computer Operator and Programming Assistant	216	5184	181	4344	344	8256	0	0	560	13440	181	4344	741	17784
5	Cosmetology	25	600	17	408	78	1872	0	0	103	2472	17	408	120	2880
6	Database System Assistant	0	0	0	0	2	48	0	0	2	48	0	0	2	48
7	Dress Making	12	240	9	180	18	360	0	0	30	600	9	180	39	780
8	Early Childhood Educator	0	0	35	840	6	144	0	0	6	144	35	840	41	984
9	Fashion Design & Technology	12	240	10	200	66	1320	0	0	78	1560	10	200	88	1760
10	Finance Executive	0	0	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	2	48
11	Fire Technology and Industrial Safety Management	2	48	194	4656	36	864	0	0	38	912	194	4656	232	5568
12	Food & Beverages Services Assistant	6	120	0	0	6	120	0	0	12	240	0	0	12	240

क्र. सं.	व्यवसाय का नाम	स्वीकृत स्थान												कुल स्वीकृत स्थान	
		NCVT				SCVT				TOTAL					
		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी			
		Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Food Production (General)	6	144	3	72	4	96	0	0	10	240	3	72	13	312
14	Footwear maker	2	40	0	0	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40
15	Front Office Assistant	8	192	5	120	10	240	0	0	18	432	5	120	23	552
16	Fruits and Vegetables Processing	6	144	0	0	6	144	0	0	12	288	0	0	12	288
17	Geo-Informatics Assistant	0	0	0	0	2	48	0	0	2	48	0	0	2	48
18	Health Safety & Environment	0	0	39	936	0	0	0	0	0	0	39	936	39	936
19	Health Sanitary Inspector	0	0	257	6168	8	192	0	0	8	192	257	6168	265	6360
20	Horticulture	0	0	7	168	2	48	0	0	2	48	7	168	9	216
21	Hospital House Keeping	0	0	16	384	0	0	0	0	0	0	16	384	16	384
22	House Keeper	10	240	9	216	0	0	0	0	10	240	9	216	19	456
23	Human Resource Executive	0	0	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	2	48
24	Internet of Things (Smart Agriculture)	0	0	0	0	2	48	0	0	2	48	0	0	2	48
25	Leather Goods Maker	2	40	0	0	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40
26	Letter Press Machine Minder	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
27	Marketing Executive	0	0	6	144	0	0	0	0	0	0	6	144	6	144

क्र. सं.	व्यवसाय का नाम	स्वीकृत स्थान												कुल स्वीकृत स्थान	
		NCVT				SCVT				TOTAL					
		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी			
		Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	Milk and Milk Product Technician	0	0	0	0	8	192	0	0	8	192	0	0	8	192
29	Multimedia Animation & Special Effects	0	0	0	0	2	48	0	0	2	48	0	0	2	48
30	Office Assistant cum Computer Operator	0	0	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	2	48
31	Offset Machine Operator Cum Book Binder	0	0	0	0	4	80	0	0	4	80	0	0	4	80
32	Photographer	0	0	0	0	2	40	0	0	2	40	0	0	2	40
33	Retail Services (CETT)	0	0	0	0	4	80	0	0	4	80	0	0	4	80
34	Secretarial Practice (English)	2	48	0	0	2	48	0	0	4	96	0	0	4	96
35	Sewing Technology	44	880	6	120	52	1040	0	0	96	1920	6	120	102	2040
36	Soil Testing and Crop Testing	0	0	0	0	4	96	0	0	4	96	0	0	4	96
37	Stenographer & Secretarial Assistant (English)	15	360	1	24	8	192	0	0	23	552	1	24	24	576
38	Stenographer & Secretarial Assistant (Hindi)	40	960	12	288	23	552	0	0	63	1512	12	288	75	1800
39	Surface Ornamentation Techniques (Embroidery)	4	80	1	20	0	0	0	0	4	80	1	20	5	100
40	Tourist Guide	0	0	0	0	4	96	0	0	4	96	0	0	4	96
41	Travel & Tour Assistant	6	144	0	0	0	0			6	144	0	0	6	144

क्र. सं.	व्यवसाय का नाम	स्वीकृत स्थान												कुल स्वीकृत स्थान	
		NCVT				SCVT				TOTAL					
		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी		राजकीय		निजी			
		Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake	Unit	Intake
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	NE1 Total	426	9896	821	19596	721	16680	0	0	1147	26576	821	19596	1968	46172
	Non- Engineering Trade 02 Year														
1	Dental Laboratory Equipment Technician	0	0	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	2	48
	NE2 Total	0	0	2	48	0	0	0	0	0	0	2	48	2	48
	Non- Engineering Trade 06 Months														
1	Driver Cum Mechanic	10	200	1	20	2	40	0	0	12	240	1	20	13	260
2	Drone Technician	0	0	0	0	2	48	0	0	2	48	0	0	2	48
3	Fireman	0	0	14	336	2	48	0	0	2	48	14	336	16	384
4	Remotely Piloted Aircraft (RPA)/Drone Pilot	0	0	0	0	25	600	0	0	25	600	0	0	25	600
5	Smartphone Technician Cum App Tester	0	0	0	0	4	96	0	0	4	96	0	0	4	96
	NE6 Total	10	200	15	356	35	832	0	0	45	1032	15	356	60	1388
	Visually Impaired 01 Year														
1	Hair & Skin Care (VI)	0	0	2	26	0	0	0	0	0	0	2	26	2	26
	VI1 Total	0	0	2	26	0	0	0	0	0	0	2	26	2	26
	Grand Total	2078	45416	12757	261990	3018	66368	0	0	5096	111784	12757	261990	17853	373774

B

रोजगार विभाग
राजस्थान

B.1 रोज़गार सेवा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत बड़ी संख्या में सेना से मुक्त किये जाने वाले सैन्य कर्मियों तथा युद्ध कार्य में लगे लोगों को नागरिक जीवन में पुनर्नियोजित करने के उद्देश्य से जुलाई,1945 में पुनर्वास तथा रोज़गार महानिदेशालय की स्थापना की गई और धीरे–धीरे देश के कई भागों में इसके कार्यालय खोले गये।

वर्ष 1946 के अंत तक रोज़गार सेवा की सुविधाएं केवल नियोजित सैन्य कर्मियों तथा युद्ध कार्यों से मुक्त किये गये लोगों तक सीमित थी। वर्ष 1947 में देश के विभाजन के फलस्वरूप प्रभावित अधिकांश विस्थापित लोगों के पुनर्वास का कार्यभार भी रोज़गार कार्यालयों को सौंपा गया। निरन्तर बढ़ती हुई मांग के कारण इस सेवा के क्षेत्र का क्रमशः विस्तार किया गया और 1948 के आरम्भ में रोज़गार कार्यालयों के द्वार सभी वर्गों के कामगारों के लिए खोल दिये गए।

वर्ष 1952 में श्री बी. शिव राव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण तथा रोज़गार सेवा संगठन समिति (शिव राव समिति के नाम से विख्यात) नियुक्त की गई। समिति ने 1954 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो व्यावसायिक अनुसंधान, व्यावसायिक निर्देशन तथा रोज़गार बाजार सूचना के क्षेत्र में अपने कार्यों की विविधता तथा संगठन के वर्तमान ढांचे के लिए मुख्य आधार बनी। समिति की सिफारिशों के आधार पर 01 नवम्बर, 1956 से संगठन का दैनिक प्रशासन राज्य सरकारों को सौंप दिया गया। राजस्थान में 01 नवम्बर, 1956 से रोजगार सेवा निदेशालय की स्थापना की गई।

B.2 रोज़गार सेवा की कार्यप्रणाली का आधार

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की समन्वित नीति के अन्तर्गत रोज़गार कार्यालय संचालित होते हैं, इनकी कार्यविधि एवं संचालन के लिए राष्ट्रीय रोज़गार सेवा संहिता खण्ड–प्रथम एवं द्वितीय में सिद्धान्त निहित हैं।

केन्द्रीय स्तर पर एक कार्यकारी दल गठित है, जिसमें केन्द्र सरकार के साथ समस्त राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि सदस्य हैं। यह कार्यकारी दल रोज़गार कार्यालयों के कार्य संबंधी नियमों आदि पर समय–समय पर विचार विमर्श करके निर्णय लेता रहता है। इस कार्यकारी दल की वार्षिक बैठक होती है तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा रोज़गार कार्यालय नीति और कार्य–विधि से संबंधित प्रस्तावित या उठाये गये मामलों पर विचार किया जाता है तथा कार्यकारी ग्रुप की भारत सरकार की अनुमोदित सिफारिशों के आधार पर नीतियों एवं कार्य–विधियों में आवश्यक संशोधन, परिवर्धन और विलोपन, रोज़गार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा जारी किये जाते हैं।

वर्ष 2015 में राजस्थान में युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, नियोजन व उद्यमिता से संबंधित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि को बेहतर समन्वय के साथ गति देने के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना No. F27(5)cabinet/2015 Jaipur, Dated: 04.08.2015 के द्वारा "Department of Skills, Employment and Entrepreneurship (DSEE)", (कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग) का गठन किया गया।

B.3 रोजगार सेवा के आधारभूत कार्य

रोज़गार कार्यालयों का मुख्य उद्देश्य रोज़गार तलाश करने वालों को उनकी योग्यता, क्षमता एवं रूचि के अनुसार रोज़गार तलाश करने में सहायता प्रदान करना एवं नियोजकों को उनकी मांग के अनुरूप उपयुक्त आशार्थी उपलब्ध कराना है। इसके लिये रोज़गार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से रोज़गार सहायता के इच्छुक बेरोज़गार आशार्थियों का पंजीयन किया जाता है एवं नियोजकों को उनकी मांग के आधार पर सम्प्रेषण, नियोजन किया जाता है। विभाग रोज़गार बाजार सूचना के अन्तर्गत रोज़गार के अवसरों का विश्लेषण एवं विकास के अलावा अनिवार्य रिक्ति ज्ञापन अधिनियम, 1959 एवं नियम, 1960 के प्रवर्तन की कार्यवाही भी करता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1996 में सिविल रिट संख्या 11646–11724/95 के मामले में दिनांक 22.08.96 के निर्णय में निर्देशित किया है कि नियोजकों द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती करने से पूर्व रोजगार कार्यालय से नाम माँगने के साथ–साथ ही उन रिक्त स्थानों का समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, रेडियो तथा दूरदर्शन के रोज़गार समाचार बुलेटिनों से प्रचार–प्रसार करा कर भी आवेदन पत्र माँगे जावें। अतः ऐसे आशार्थी जिनका नाम रोज़गार कार्यालयों में वरिष्ठता के कारण नियोजकों को नहीं भेजा जा सका हो, या जो पंजीकृत नहीं हो, वे भी सीधे ही नियोजकों को अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

B.4 रोजगार विंग का प्रशासनिक ढांचा

निदेशक

विभागीय पद

- संयुक्त निदेशक– 4
- उप निदेशक– 8
- सहायक निदेशक–15
- जिला रोज़गार अधिकारी–33
- कनिष्ठ रोज़गार अधिकारी–19
- संस्थापन अधिकारी– 2
- प्रशासनिक अधिकारी– 6
- निजी सहायक– 1
- अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी– 18
- सहायक प्रशासनिक अधिकारी– 39
- वरिष्ठ कलाकार– 1
- कलाकार– 1
- प्रूफ रीडर– 1
- वरिष्ठ सहायक– 58
- कनिष्ठ सहायक– 109
- वाहन चालक– 8
- च0श्रे0क0– 72

कोष एवं लेखा विभाग के पद

- लेखाधिकारी–1
- सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। –1
- सहायक लेखाधिकारी ग्रेड।। –1
- कनिष्ठ लेखाकार– 4

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के पद

- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर–1
- प्रोग्रामर– 1
- सहायक प्रोग्रामर– 14
- सूचना सहायक– 51

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद

- सांख्यिकी निरीक्षक–1
- संगणक–1

B.5 रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य

- रोज़गार कार्यालयों सहित समस्त अधीनस्थ कार्यालयों का प्रशासन, नियंत्रण एवं समन्वय।
- रोज़गार सेवा प्रक्रिया संबंधी कार्य एवं अधीनस्थ रोज़गार कार्यालयों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन।
- रोज़गार संबंधी सांख्यिकी, सर्वेक्षण एवं शोध।
- रोज़गार कार्यालय (अनिवार्य रिक्ति ज्ञापन) अधिनियम, 1959 एवं नियम, 1960 को राज्य में लागू करना तथा रोज़गार बाजार सूचना एकत्रित करना।
- विभागीय अधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षण।
- राजस्थान रोज़गार संदेश का प्रकाशन।

B.6 उप क्षेत्रीय एवं जिला रोज़गार कार्यालयों के कार्य

- जिले के सभी रोज़गार सहायता कार्यक्रमों जैसे– बेरोज़गार आशार्थियों का पंजीयन, सम्प्रेषण, नियोजन, व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं वृत्तिसंबंधी परामर्श इत्यादि।
- रोज़गार बाजार की सूचना एकत्रीकरण।
- बेरोज़गार युवकों को स्व–रोज़गार हेतु प्रेरित करने तथा वित्तीय एवं तकनीकी सुविधाओं संबंधी मार्गदर्शन देना।
- विभिन्न विद्यालयों, कॉलेज, विद्यार्थी समूह को व्यावसायिक मार्गदर्शन देना।
- जिले में स्थापित विभिन्न निजी एवं सरकारी औद्योगिक संस्थान एवं कार्यालयों से समन्वय करना तथा उनसे उनकी मांग एवं योग्यतानुसार आवश्यक कर्मियों की मांग को एकत्रित करना तथा उसके अनुरूप बेरोज़गार आशार्थियों हेतु रोज़गार सहायता शिविर लगाना।
- मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना (बेरोजगारी भत्ता याजना) का क्रियान्वयन।
- रोज़गार कार्यालय की नियोजक पंजिका पर उपलब्ध नियोजकों का निरीक्षण करना एवं नये नियोजकों का अभिज्ञापन करना।
- राजस्थान रोज़गार संदेश का प्रचार–प्रसार एवं जिला स्तर पर वार्षिक सदस्य बनाना।

B.7 रोजगार विंग द्वारा गत 03 वर्षों में सम्पादित किये गये कार्य एवं उपलब्धियाँ

क्र.सं.	विवरण	2021	2022	2023
1	पंजीयन	163840	156055	173972
2	अधिसूचित रिक्तियाँ	1101	2808	5594
3	सम्प्रेषण	4247	1616	6813
4	सजीव पंजीका	1645532	1801586	1975558
5	रोजगार सहायता शिविर	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिसंबर तक)
		208	275	17 (मेगा जॉब फेयर्स)

गत 03 वर्षों में विशिष्ठ श्रेणी के आशार्थियों के लिए किये गए कार्यों का विवरण:–

क्र. सं.	श्रेणी	पंजीयन			सजीव पंजीका		
	वर्ष	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	अनुसूचित जाति	28142	25549	29233	288831	314377	343678
2	अनु. जनजाति	15005	17573	18528	181865	199439	218017
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	83685	84392	94831	797776	882181	977221
4	महिलाऐं	80166	73332	83678	626729	699844	783654

B.8 स्व–रोजगार एवं रोजगार विकास अनुभाग :–

सवैतनिक रोज़गार क्षेत्र में घटते अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए, बेरोज़गार आशार्थियों को स्वरोज़गार अपनाने में सहायता देने एवं विभिन्न स्वरोज़गार योजनाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा स्वरोज़गार कार्यक्रम राज्य के सभी रोज़गार कार्यालयों द्वारा चलाया जा रहा है। लघुउद्योग विकास संगठन, राष्ट्रीयकृत बैंक,नाबार्ड, औद्योगिक विकास निगम, अनु. जाति/जनजाति विकास निगम, वित्त निगम, खादी ग्रामोद्योग, शहरी/ग्रामीण निकायों जैसे विभिन्न संस्थान तकनीकी जानकारी, वित्त आदि उपलब्ध कराकर आशार्थियों को स्वनियोजित होने में योगदान कर रहे हैं, तथापि अधिकांश युवाओं को इन संस्थानों की विद्यमानता एवं इनके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी नहीं है। अतः यह विभाग विभिन्न संस्थानों द्वारा स्वरोज़गार के लिये विभिन्न रोज़गार अवसरों की आवश्यक तकनीकी जानकारी, कच्चा माल, उत्पादन प्रक्रिया और उपकरण, विपणन, स्वरोज़गार योजनाओं के आवेदन पत्रों के प्रारूप आदि जैसी आवश्यक सूचनाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराकर आशार्थियों को लाभान्वित करता है।

स्वरोजगार एवं रोजगार विकास योजनाओं से गत तीन वर्षों में लाभान्वित आशार्थियों का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	विवरण	2021	2022	2023
1	सामूहिक वार्ताओं की संख्या	1119	938	1103
2	सामूहिक वार्ताओं में उपस्थित आशार्थियों की संख्या	41774	33449	43250
3	स्वरोजगार हेतु भरवाये गये आवेदन पत्र	293	778	203
4	व्यक्तिगत रूप से सूचना प्राप्त करने वाले आशार्थी	37645	29193	40125

B.9 रोजगार विंग द्वारा संचालित योजना :—

➢ मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2021 (बेरोजगारी भत्ता योजना):—

राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्नातक बेरोजगार युवाओं के सहायतार्थ जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 10.1 की अनुपालना में दिनांक 01.02.2019 से सम्पूर्ण राज्य में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना प्रारम्भ की गई। बजट घोषणा 2021—22 के बिन्दु संख्या 56 में उक्त योजना में आशार्थियों को 3 माह का कौशल प्रशिक्षण एवं विभिन्न राजकीय विभागों में प्रतिदिन 4 घन्टे इन्टर्नशिप करते हुये पात्र पुरूष आशार्थियों को 4000 रूपये एवं महिला, निशक्तजन व ट्रांसजेण्डर आशार्थियों को 4500 रूपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्ष अथवा आशार्थी के नियोजित/स्वनियोजित होने तक जो भी पहले हो के लिए भुगतान किया जा रहा है।

योजनांतर्गत योजना प्रारंभ दिनांक 01 फरवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 तक कुल 6,38,621 आशार्थियों को लाभांवित करते हुये 2507.82 करोड़ रूपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित किये गये।

➢ मॉडल कॅरियर सेंटर्स :—

यह भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा रोजगार कार्यालयों को आधुनिक सुविधा सम्पन्न कर मॉडल कॅरियर सेन्टर के रूप में रूपान्तरित करने की महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना के अन्तर्गत मॉडल कॅरियर सेंटर्स में युवाओं को रोजगार के नवीनतम अवसरों की जानकारी प्रदान करना, काउंसलिंग करना, औद्योगिक क्षेत्र में श्रम शक्ति की माँग व पूर्ति में अंतर के कारणों का विश्लेषण कर उद्योगों में वांछित कौशल प्रशिक्षित युवाओं की माँग का आंकलन करना, कैपेसिटी बिल्डिंग संबंधी कार्य करना, सरकार एवं निजी क्षेत्र के जॉब प्रदान करने संबंधी ईको—सिस्टम में अंतर की पूर्ति करने हेतु प्लेटफार्म तैयार करना तथा जॉब फेयर एवं कैम्पस प्लेसमेंट के माध्यम से युवाओं को उचित व स्थायी रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहायता करना आदि कार्य सम्मिलित हैं।

वर्तमान में राज्य में 16 रोजगार कार्यालयों यथा **बीकानेर, भरतपुर, कोटा, अलवर, दौसा, जयपुर, झालावाड़, झुन्झुॅनू, पाली, सवाई—माधोपुर, सिरोही, जैसलमेर, जालोर, बॉसवाड़ा, बांरा, गंगानगर** में मॉडल कैरियर सेंटर्स की गतिविधियॉ सम्पादित की जा रही है।

B.10 व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम की उपलब्धियाँ:–

रोजगार कार्यालय शिक्षित बेरोज़गार आशार्थियों को उचित व्यवसाय के चयन में सहायता प्रदान करने के साथ–साथ देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में उपलब्ध पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षणों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इस हेतु समय–समय पर रोज़गार कार्यालयों द्वारा कॅरियर वार्ताऐं व व्यावसायिक सूचनाओं की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है।

व्यावसायिक मार्गदर्शन के अंतर्गत लाभान्वित आशार्थियों की संख्या

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2021	वर्ष 2022	वर्ष 2023
1	पंजीयन के समय मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले आशार्थियों की संख्या	44432	32210	27197
2	व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले आशार्थियों की संख्या	36411	41448	28498
3	सामूहिक वार्ताओं की संख्या	728	1687	752
4	सामूहिक वार्ताओं में भाग लेने वाले आशार्थियों की संख्या	32104	38111	34092

B.11 रोज़गार सहायता शिविरों का आयोजन :–

मेगा जॉब फेयर का आयोजन :– राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं बजट घोषणा 2023–24 के तहत कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा राज्य में बेरोजगार आशार्थियों के हितार्थ राज्य में 17 मेगा जॉब फेयर्स का आयोजन किया गया ।अजमेर, बाँसवाड़ा, सवाई माधोपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा ,नागौर, दौसा, कोटा, राजसमंद, सीकर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जालोर, अलवर, टोंक, बाड़मेर एवं सिरोही में आयोजित किये गये इन मेगा जॉब फेयर्स में कुल 331055 आशार्थियों ने ऑनलाईन पंजीयन कराया, जिसमें से 99702 आशार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन मेगा जॉब फेयर्स में कुल 37152 आथार्थियों का प्रारम्भिक चयन किया गया है।

B.12 रोज़गार बाजार सूचना एकत्रीकरण कार्यक्रम :–

संगठित क्षेत्र की रोज़गार स्थिति का अध्ययन करने के लिए रोज़गार बाजार सूचना एकत्रीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जिलों में विभिन्न रोज़गार सूचनाओं का त्रैमासिक अन्तराल पर संकलन किया जाता है।

गत 03 वर्षों में राज्य में नियोजक एवं नियोजित व्यक्तियों की संख्या का विवरण

क्षेत्र	नियोजक			नियोजन					
				कुल रोजगार			महिला रोजगार		
	2021	2022	2023 (जून)	2021	2022	2023 (जून)	2021	2022	2023 (जून)
(1) सार्वजनिक क्षेत्र									
1. केन्द्र सरकार	429	428	427	106493	106000	105866	4991	4987	4971
2. राज्य सरकार	9776	9830	9871	650875	651470	639408	153739	154129	154675
3. अर्द्धकेन्द्र सरकार	3046	3060	3045	68904	68886	74413	5685	5706	5792
4. अर्द्धराज्य सरकार	1742	1743	1733	89489	89464	89427	8009	8041	8067
5. स्थानीय निकाय	529	530	533	70232	70143	69740	16346	16191	16292
योग	**15522**	**15591**	**15609**	**985993**	**985963**	**978854**	**188770**	**189054**	**189797**
(2)निजी क्षेत्र									
1. अधिनियमान्तर्गत संस्थान	2494	2650	2704	368489	374246	379961	49953	51288	51884
2. अधिनियम भिन्न संस्थान	3995	4101	4172	59761	60541	59932	13916	14084	14083
योग	**6489**	**6751**	**6876**	**428250**	**434787**	**439893**	**63869**	**65372**	**65967**
महायोग	**22011**	**22342**	**22485**	**1414243**	**1420750**	**1418747**	**252639**	**254426**	**255764**

उद्योगानुसार रोज़गार स्थिति का 3 वर्ष का विश्लेषण

क.सं.	औद्योगिक संभाग	विवरण	नियोजक			नियोजन					
						कुल रोजगार			महिला रोजगार		
			2021	2022	2023 (जून)	2021	2022	2023 (जून)	2021	2022	2023 (जून)
1	A	कृषि, वन, मछली पालन	254	254	260	13332	13289	13321	736	738	747
2	B	खनन	164	128	164	15244	15146	14653	1290	1298	1258
3	C	विनिर्माण	1883	1912	1922	241732	243271	247127	16854	17660	17850
4	D	विद्युत, गैस आपूर्ति	902	905	891	43186	43234	43221	1867	1865	1886
5	E	जलापूर्ति, सीवरेज, कचरा प्रबंधन	523	523	504	30611	30576	29070	1108	1105	1084
6	F	निर्माण	744	745	737	25941	26260	25949	1108	1091	1096
7	G	थोक व फुटकर व्यापार, मोटर वाहन सुधार	463	499	498	23634	24438	24777	1798	1839	1857
8	H	परिवहन संग्रहण	177	178	176	84266	84025	83471	3415	3415	3406
9	I	होटल व रेस्टोरेन्ट	358	506	536	17627	19059	19367	1050	1111	1125
10	J	सूचना एवं संचार	156	152	156	24102	23969	23998	1519	1516	1523
11	K	वित्त एवं बीमा कार्य	3427	3467	3457	62889	63947	69947	5579	5813	5897
12	L	स्थायी सम्पदा कार्य	3	3	3	223	223	223	4	4	4
13	M	व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्य	400	402	404	24055	23919	24077	1581	1553	1557
14	N	प्रशासनिक एवं सहयोगी सेवा कार्य	815	816	818	36865	36906	37004	8109	8126	8166
15	O	लोक प्रशासन एवं रक्षा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा	1795	1794	1790	259474	259571	248070	39946	39942	39585
16	P	शिक्षा	8657	8968	9061	376375	377945	378155	109036	109733	110127
17	Q	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	905	915	914	122347	122635	123320	55132	55108	55956
18	R	कला व मनोरंजन	129	129	132	1975	1968	1981	163	162	163
19	S	अन्य सामुदायिक, सामाजिक एवं निजी क्रियायें	39	39	45	9300	9292	9932	2169	2169	2302
20	T	निजी हाउस होल्ड कार्य	4	4	4	123	123	123	12	12	12
21	U	क्षेत्रीय संगठन एवं निकाय	13	13	13	942	954	961	163	166	163
Total			22011	22342	22485	1414243	1420750	1418747	252639	254426	255764

B.13 राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक पत्र) का प्रकाशन :–

बेरोजगार आशार्थियों को विभिन्न रिक्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रशिक्षण, छात्रवृत्तियों तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिये विभाग द्वारा पाक्षिक पत्र ''राजस्थान रोजगार संदेश'' का प्रकाशन विगत 46 वर्षों से नियमित रूप से किया जा रहा है। महत्वपूर्ण रिक्तियों का सम्पूर्ण विवरण इसी पत्र में प्रकाशन होने पर प्रसार संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर ली जाती है। वर्ष 2023–24 में (31 दिसम्बर 2023 तक) राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) की 1,60,500 प्रतियाँ मुद्रित करवाई गई तथा पाक्षिक की बिक्री एवं विज्ञापन से आय 8,71,899/– रूपये प्राप्त हुई है।

B.14 रोज़गार विंग का कम्प्यूटरीकरण :–

रोजगार विंग की वेबसाईट **http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in** है। उक्त वेबसाईट पर रोजगार कार्यालय (अनिवार्य रिक्ति ज्ञापन) अधिनियम, 1959 एवं नियम, 1960 के अतिरिक्त विभागीय परिपत्र, पाक्षिक समाचार पत्र 'राजस्थान रोजगार संदेश' आदि उपलब्ध हैं तथा इन्हें डाउनलोड भी किया जा सकता हैं।

मुख्यंमत्री युवा संबल योजना (बेरोजगारी भत्ता योजना) के तहत पात्र आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र विभाग के वेबपोर्टल EEMS (Employemnt Exchange Management System) पर प्रस्तुत किया जाता है। भत्ता स्वीकृति की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन है। भत्ते की राशि आवेदक के एकल बचत खाते में ऑनलाईन माध्यम से जमा करवाई जा रही है।

B.15 रोजगार सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) की स्थिति :–

डी.पी.सी. / पदोन्नति

1	राजपत्रित संवर्ग के संयुक्त निदेशक पद की वर्ष 2023–24 तक की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया जा चुका है।
2	उप निदेशक पद की वर्ष 2023–24 तक की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया जा चुका है।
3	सहायक निदेशक संवर्ग की वर्ष 2023–24 तक की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया जा चुका है।
4	कनिष्ठ रोजगार अधिकारी से जिला रोजगार अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2022–23 तक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया जा चुका है। वर्ष 2023–24 की पदोन्नति के लिए कोई पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं है।
5	मंत्रालयिक संवर्ग का कैडर रिव्यू होने के पश्चात संस्थापन अधिकारी के पद पर वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 तक की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
6	प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग की वर्ष 2020–21 से 2023–24 तक की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
7	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग की वर्ष 2020–21 से 2023–24 तक की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
8	सहायक प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग की वर्ष 2020–21 से 2023–24 तक की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
9	वरिष्ठ सहायक संवर्ग की वर्ष 2020–21 से 2023–24 तक की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
10	कनिष्ठ सहायक संवर्ग की वर्ष 2023–24 तक की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया जा चुका है।

B.16 <u>रोजगार विंग में दिनांक 31.12.2023 को स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण</u>

Government of Rajasthan

Name of Department:- EMPLOYMENT

INFORMATION OF **All POST**

S.No	Name of post	Status of Post as on 31-12-2023			Remarks
		Sanctioned	Filled	Vacant	
	रोजगार विभाग के पद (विभागीय)				
1	निदेशक	1	0	1	
2	संयुक्त निदेशक	4	1	3	
3	उप निदेशक	8	7	1	
4	सहायक निदेशक	15	13	2	
5	जिला रोजगार अधिकारी	33	9	24	
6	कनिष्ठ रोजगार अधिकारी	19	13	6	
7	निजी सहायक	1	1	0	
8	संस्थापन अधिकारी	2	0	2	
9	प्रशासनिक अधिकारी	6	0	6	
10	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	18	4	14	
11	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	39	19	20	
12	वरिष्ठ सहायक	58	47	11	
13	कनिष्ठ सहायक	109	82	27	
14	वरिष्ठ कलाकार	1	1	0	
15	कलाकार	1	1	0	
16	प्रूफ रीडर	1	0	1	
17	वाहन चालक	8	7	1	
18	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	72	25	47	
	योग	**396**	**230**	**166**	
	लेखा विभाग के पद				
1	लेखाधिकारी	1	1	0	
2	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	1	0	1	
3	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	1	1	0	
4	कनिष्ठ लेखाकार	4	1	3	
	योग	7	3	4	

	सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के पद				
1	एनेलिस्ट कम प्रोग्रामर	1	1	0	
2	प्रोग्रामर	1	1	0	
3	सहायक प्रोग्रामर	14	14	0	
4	सूचना सहायक	51	31	20	
	योग	67	47	20	
	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद				
1	सांख्यिकी निरीक्षक	1	1	0	
2	संगणक	1	1	0	
	योग	2	2	0	
	Grand Total	**472**	**282**	**190**	

C

राजस्थान कौशल

एवं

आजीविका विकास निगम

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम

ई.एम.आई. कैम्पस, जे–8–ए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर 302004 (राज.)

प्रगति–प्रतिवेदन

C.1 प्रस्तावना :–

राजस्थान सरकार द्वारा सितम्बर 2004 में माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में ''राजस्थान आजीविका मिशन''(RMOL) का गठन किया गया। मिशन का उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा बेहतर, दीर्घकालीन रोजगार के अवसर प्रदान कराना तथा गरीब व कमजोर वर्ग के युवाओं के लिये आजीविका प्रोत्साहन हेतु अभिनव प्रयोग करना एवं नीति निर्धारण करना था। वर्ष 2009 में बजट घोषणा के अनुसार मिशन के नाम में 'कौशल' शब्द जोड़कर इसे राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन कर दिया गया। इस मिशन को विधिक मान्यता प्रदान के लिए इसे दिनांक 17.08.2010 को कंपनी अधिनियम की धारा 25 में पंजीकृत कराया गया। बजट घोषणा वर्ष 2011–12 के अनुसरण में राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन को मई 2012 में परिवर्तित कर ''राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम'' बनाया गया।

प्रदेश के युवाओं को आजीविका एवं कौशल विकास के अवसर व्यापक रूप से उपलब्ध हो सकें इस बाबत आरमोल (RMoL) को केबिनेट आज्ञा संख्या 16/2014 दिनांक 28.01. 2014 के द्वारा पुनर्जीवित किया जाकर माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को इसका अध्यक्ष एवं राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अध्यक्ष को मिशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कौशल योजनाओं का संमिलन (Convergence) हुआ और प्रदेश के युवा लाभान्वित हो रहे हैं।

C. 2 नीतिगत निर्णय एवं उनकी आदिनांक क्रियान्विति की स्थिति :–

वर्ष 2015 में राजस्थान में युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, नियोजन व उद्यमिता से संबंधित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि को बेहतर समन्वय के साथ गति देने के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना No. F27(5)cabinet/2015 Jaipur, Dated: 04.08.2015 के द्वारा "Department of Skills, Employment and Entrepreneurship (DSEE)", (कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग) का गठन किया गया।

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता के संबंध में विभिन्न कार्यों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति स्वतंत्र रूप से है, जिसके विभागाध्यक्ष, आयुक्त, नियोजन एवं उद्यमिता हैं तथा विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव विभागीय प्रशासनिक सचिव हैं। इस आयुक्तालय का मुख्यालय, जयपुर के झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित कौशल भवन परिसर में हैं।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम कार्यालय का 31.12.2023 को प्रशासनिक स्वरुप निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1.	प्रबन्ध निदेशक	1	1	0
2.	वित्तीय सलाहकार / मुख्य लेखाधिकारी	1	1	0
3.	महाप्रबन्धक	3	1	2
4.	उप महाप्रबन्धक	3	2	1
5.	प्रबन्धक	8	5	3
6.	लेखाधिकारी	1	0	1
7.	सहायक प्रबन्धक	8	6	2
8.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	3	3	0
9.	जनसम्पर्क अधिकारी	1	1	0
10.	अतिरिक्त निजी सचिव	1	0	1
11.	निजी सहायक	3	0	3
12.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	2	1	1
13.	कनिष्ठ लेखाकार	1	0	1
14.	सूचना सहायक	12	3	9
15.	क्लर्क ग्रेड (प्रथम)	4	2	2
16.	ड्राईवर	3	1	2
17.	ऑफिस बॉय	6	0	6
	कुल	**61**	**27**	**34**

C. 3 निगम के उद्देश्य :–

- प्रदेश के युवाओं में कार्य से सम्बन्धित दक्षताओं का विकास कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका व रोजगार प्राप्ति योग्य बनाना।
- प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में जहाँ कुशल मानव संसाधन अनुपलब्ध/ अपर्याप्त हैं उन क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन उपलब्धता हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करवाया जाकर प्रदेश के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करना।
- प्रदेश में आजीविका एवं कौशल विकास हेतु नीति निर्माण का कार्य करना व कौशल विकास कार्यक्रमों की नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना।
- प्रदेश के गरीब, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्ग के युवाओं के कौशल विकास तथा आजीविका सृजन हेतु विशेष योजनाऐं तैयार कर लागू करना।
- प्रदेश में राजकीय एवं निजी एजेन्सियों के सहयोग से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना करवायी जाकर, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना।
- प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास के प्रति आकर्षित करने हेतु प्रचार–प्रसार करना।
- राजकीय एवं निजी ऐजेन्सियों के सहयोग से कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना कर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में आवश्यक कौशल स्तर में कमी (स्किल गैप) का आंकलन कर उनके विकास/पूर्ति की योजना बनाकर निजी क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त करना।
- सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सी को निजी कम्पनियों के साथ परस्पर समन्वय स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना।

C. 4 योजनाऐं :–

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा क्रियान्वित योजनायें: –

- राज्य पोषित योजनाऐंः–

1. मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY)–राज्य पोषित योजना / कार्यक्रम

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा पूर्व से संचालित राज्य पोषित योजनाओं क्रमशः ELSTP एवं RSTP को 3 नई योजनाऐं क्रमशः **रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम** (RAJKViK), **सक्षम (स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान) एवं समर्थ (कौशल से आत्मनिर्भर)** में पुनर्गठित किया गया है। 3 नई राज्य वित्तपोषित योजनाओं को एक छत्रप (Umbrella) **मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना** के नाम से संचालित किया जा रहा है। इन घटक योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार हैः–

i. **श्रेणी प्रथमः– रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (RAJKViK):–** बाजार की मांग के अनुरुप बेरोजगार युवाओं को संबन्धित क्षेत्रों में रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हुए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसी योजना के अन्तर्गत कौशल विकास कार्यक्रमों में रोजगार की मांग व उपलब्धता में महती भूमिका निभाने वाले औधोगिक उपक्रमों के साथ भागीदारी सुनिश्चित करने के उददेश्य से सीधे सूचीबद्ध करने की प्रकिया एवं RTD मॉडल अपनाए जाते हुए कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

ii. **श्रेणी द्वितीय :– सक्षम (स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान):–** स्थानीय स्तर पर ही विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार की संभावनाओं वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ते हुए राज्य के युवाओं व महिलाओं को स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाते हुए राज्य में स्वरोजगार के अवसरों को स्थापित करना।

iii. **श्रेणी तृतीयः– समर्थ** राज्य के अत्यन्त निर्धनतम / हाशिये पर मौजूद समुदायों / वर्गों यथा सीमांत निर्धन, भिक्षावृत्ति में लिप्त, कच्ची बस्तियों के निवासी, दलित आदिवासी वर्ग, नारी निकेतन, बाल गृह, कारागार बन्दियों को रोजगार / स्वरोजगार की संभावनाओं वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर बनाना।

2. मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY) :– योजना का शुभारंभ दिनांक 7 नवम्बर, 2019 को माननीय राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार) एवं माननीय राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा किया गया।

इस योजना का उददेश्य राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के नियमित विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनके कौशल को विकसित कर रोजगार/स्वरोजगार के लिये सक्षम बनाना है ताकि अपने अध्ययन के उपरान्त ये प्राप्त कौशल के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकें अथवा स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। उक्त योजना आरएसएलडीसी एवं कॉलेज शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय परिसर में सूचीबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों द्वारा किया गया।

योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में निगम द्वारा 117 राजकीय महाविद्यालयों में 71 प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों द्वारा 2115 विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षित किया गया है। योजना के द्वितीय चरण में कोरोना महामारी के मद्देनज़र ऑनलाईन प्लेटफार्म के माध्यम से राजकीय महाविद्यालयों के 2556 विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। योजनान्तर्गत पात्रता हेतु अभ्यर्थी की आयु 17 से 30 वर्ष है। योजना के तृतीय चरण में online training के माध्यम से 3550 प्रशिक्षणार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

- <u>अन्य विभागों की योजनाओं का क्रियान्वन</u> –

3. आई एम शक्ति योजना– राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम एवं आयुक्त महिला अधिकारिता, निदेशालय महिला अधिकारिता के संयुक्त प्रयासों द्वारा महिलाओं व बालिकाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में **"आई.एम.शक्ति–कौशल सामर्थ्य योजना"** का प्रारम्भ किया गया। योजनान्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं के रोजगार एवं स्वरोजगार आधारित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के वंचित वर्ग महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आजीविका अर्जित करने योग्य बनाना एवं उद्यमिता की ओर अग्रसर करना है। योजनान्तर्गत पात्रता हेतु अभ्यर्थी की आयु 16 से 50 वर्ष है।

4. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना – बजट घोषणा 2021–22 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना–2019 को बेहतर बनाते हुए एवं लाभार्थियो की संख्या में भी वृद्धि कर 1 लाख 60 हजार से बढाकर 2 लाख करते हुए व वर्तमान भत्ता दरों में 1000 रूपये की वृद्धि कर, युवाओं को employable बनाने की दृष्टि से पात्र बेरोजगार युवाओं को तीन माह का कौशल विकास प्रशिक्षण दिलवाकर विभिन्न विभागों में 4 घन्टे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवाये जाने का प्रावधान किया गया है। जिन अभ्यार्थियों ने पूर्व में किसी प्रकार का प्रोफेशनल डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कार्स/आरएससीआईटी कोर्स नही किया हो तो उन्हे कौशल प्रशिक्षण कराये जाने की आवश्यकता है। पात्र बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण का कार्य राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

- **निगम द्वारा कियान्वित केन्द्र पोषित योजनाऐं:**

5. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) :- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की कौशल प्रशिक्षण और रोजगार योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना एवं न्यूनतम मजदूरी या उससे ऊपर नियमित रूप से मासिक मजदूरी के साथ नौकरी प्रदान करना है। आर.एस.एल.डी.सी को वर्ष 2014–19 हेतु 50,000 युवाओं (संशोधित लक्ष्य) के प्रशिक्षण का लक्ष्य प्रदान किया गया था। इस योजना का शुभारम्भ भारत के प्रथम कौशल विकास केन्द्र के रूप में 15 अगस्त 2014 को किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की नई योजना लाइफ एमजी नरेगा को DDU-GKY में समाहित कर दिया गया है। वर्ष 2019–23 के अन्तराल में 72,800 युवाओं के प्रशिक्षण लक्ष्य के साथ संशोधित कुल लक्ष्य 1,22,800 युवाओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा निगम को आंवटित किया गया है। इस हेतु रु. 755.93 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

6. **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 (PMKVY) (केन्द्रीय प्रायोजित राज्य प्रबन्धित CSSM)** :— कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार (MSDE) द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2016—22) तक लगभग 41000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया गया है। जिसके लिये 26.19 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

7. **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0** :— वित्तीय वर्ष 2020—21 में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE), भारत सरकार के द्वारा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम को पीएमकेवीवाई 3.0 के प्रथम चरण में कुल 4022 प्रशिक्षणर्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य दिया गया था। इसके अतिरिक्त, पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत आरएसएलडीसी को आरपीएल के लिए 6600 प्रशिक्षणर्थियों का लक्ष्य आंवटित किया गया था।

8. **Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP)** :— कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करने, गुणवत्तायुक्त—प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं का पूल बनाने तथा सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मध्य अभिसरण हेतु Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP) परियोजना प्रारम्भ की गई है। यह कार्यक्रम कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं बाजार की प्रासंगिकता में सुधार तथा महिलाओं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी प्रतिभागियों व समाज के अन्य वंचित समूहों के प्रतिशत में भी वृद्धि करेगा। आरएसएलडीसी द्वारा इस योजना का कियान्वयन स्वयं के सूचीबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्रदाता, प्लेसमेंट पार्टनर्स और सर्विस सेंटर आदि के द्वारा राज्य में लागू किया जायेगा। विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु राज्य में विकसित स्किलिंग इकोसिस्टम एवं बुनियादी ढांचा है, अतः SANKALP परियोजना के अनुदान को आरएसएलडीसी द्वारा जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करने में व्यय किया जा रहा है।

9. कन्वर्जेंस (Convergence):–कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकरूपता, केन्द्रीकृत सूचना तंत्र तैयार करने, प्रभावी पर्यवेक्षण एवं दौहरीकरण (Duplicacy) रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किये जाने वाले लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/संचालन राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) के माध्यम से किया जाये।

इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा राज्य के समस्त विभागों द्वारा संचालित लघु अवधि कौशल विकास योजनाओं को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की पूर्व में संचालित रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण योजना (ELSTP) के माध्यम से संचालित किये जाने हेतु समामेलन (Convergence) का आदेश दिनांक 07/11/2014 को जारी किया गया। कौशल प्रशिक्षण पश्चात स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्व में संचालित नियमित कौशल प्रशिक्षण योजना (RSTP) के तहत कन्वर्जेंस आदेश दिनांक 17/09/2015 को जारी किया गया है। वर्तमान में संचालित पुनर्गठित मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना की श्रेणी प्रथम – रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (RAJKViK) एवं श्रेणी द्वितीय – सक्षम (स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान) को कवंर्जेस मॉडल के तहत संचालित किया जा रहा है।

RSLDC ने राज्य सरकार के 10 विभागों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक निगम द्वारा 86,700 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वर्तमान में निगम द्वारा कन्वर्जेंस के तहत निम्नलिखित 3 विभागों के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है

- राजस्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम (SCDC)
- जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग (TADD)
- अल्पसंख्यक विभाग

आरएसएएलडीसी द्वारा संचालित अभिसरण (कन्वरजेंस स्कीम) पहल के निम्नलिखित लाभ मिले हैं :–

- मोबीलाइजेशन में सुगमता।
- व्यापक आईईसी गतिविधियां।
- दौहरीकरण (Duplicacy) रोकना।

- कार्यक्रम क्रियान्वयन में एकरूपता।
- प्रभावी निगरानी तंत्र।
- केन्द्रीकृत डाटा बेस।
- योग्यता के क्षेत्रों और पाठ्यक्रमों का विभिन्न प्रकार से बेहतर मिलान।
- कौशल प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे का अनुकूलतम उपयोग।

C. 5 कौशल प्रशिक्षण क्षेत्र :–

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही उक्त योजनाओं के अन्तर्गत प्रमुखतः निम्न क्षेत्रों/सेक्टरों में प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध हैं–

क्र.स.	क्षेत्र/सेक्टर	क्र.स.	क्षेत्र/सेक्टर
1	कूरियर एवं लॉजिस्टिक्स	19	पर्यटन और आतिथ्य
2	उपकरण स्वचालन निगरानी और संचार	20	स्वास्थ्य देखभाल
3	फूड प्रोसेसर एवं प्रिजर्वेशन	21	वस्त्र एवं परिधान
4	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रीकल	22	प्रबन्धन एवं उद्यमिता
5	मीडिया एण्ड एन्टरटेनमेन्ट	23	जेम्स एवं ज्वैलरी
6	जीवन विज्ञान क्षेत्र	24	माईनिंग
7	ब्यूटी कल्चर व केश सज्जा	25	टेलिकॉम
8	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	26	घरेलू कामगार
9	ऑटोमोटिव रिपेयर	27	सुरक्षा गार्ड
10	फुटकर/खुदरा	28	हैन्डीक्राफ्ट
11	ग्रीन जॉब्स्	29	कृषि
12	प्लम्बिंग	30	रबर
13	पावर	31	केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल
14	एरोस्पेस एवं एविऐशन	32	कन्सट्रक्शन
15	BFSI	33	वुड्स एण्ड पेन्टस
16	कैपिटल गुड्स	34	आयरन एवं स्टील
17	पिपल विद डिसेबिलिटि हेतु विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	35	अर्थ मूविंग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर
18	लैदर	36	स्पोर्टस

प्रशिक्षण कार्यक्रम आवासीय एवं गैर आवासीय दोनों प्रकार के होते हैं। कौशल प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

C. 6 निगम द्वारा क्रियान्वित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के अंतर्गत 31 दिसम्बर 2023 तक प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं का विवरण निम्न है :–

क्र. सं.	योजना	प्रशिक्षित युवा (प्रारम्भ से 31 दिसम्बर 2023)	प्रशिक्षित युवा (1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021)	प्रशिक्षित युवा (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022)	प्रशिक्षित युवा (1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023)	प्रशिक्षित युवा (1 अप्रैल 2023 से 31 दिसम्बर 2023)	वर्तमान में कार्यरत कौशल विकास केन्द्रों की संख्या	प्रशिक्षणरत युवा
1	डीडीयू–जीकेवाई	91140	2298	7588	6759	6503	40	3771
2	ईएलएसटीपी	275483	7324	9763	207	0	0	0
3	एम.एम.वाई.के.वाई 1.0	2115	684	1074	0	0	0	0
4	एम.एम.वाई.के.वाई 2.0	2556	0	2556	0	0	0	0
5	एम.एम.वाई.के.वाई 3.0	0	0	0	0	0	12	3492
6	पीएम.के.वी.वाई 2.0	32523	3596	240	0	0	0	0
7	पीएम.के.वी.वाई 3.0	4159	30	3602	527	0	0	0
8	राजक्विक (एम.एम.के.वी.वाई–केट–**I**)	23020	0	0	10072	12948	73	5563
9	सक्षम (एम.एम.के.वी.वाई–केट–**II**)	11100	0	0	4563	6537	18	1642
10	समर्थ (एम.एम.के.वी.वाई–केट–**III**)	9611	0	0	2688	6923	25	2160
11	आर.एस.टी.पी.	59569	3958	6345	0	0	0	0
12	आरपीएल पीएम.के.वी.वाई 2.0	2781	0	2781	0	0	0	0
13	आरपीएल पीएम.के.वी.वाई 3.0	6173	0	6173	0	0	0	0
14	डब्ल्यू.एस.एस.ओ.	39193	0	39193	0	0	0	0
15	**IM_Shakti**	11971	0	0	1864	10107	9	832
16	**PM Daksh**	376	0	376	0	0	0	0
17	**MMYSY**	7333	0	0	532	6801	0	0
18	**RAJKViKRTD**	60	0	0	0	60	0	0
19	**PMKVY 3.0 C4W**	824	0	824	0	0	0	0
कुल		579987	17890	80515	27212	49879	177	17460

C.7 आरएसएलडीसी को देश का सर्वश्रेष्ठ कौशल प्रदाता राज्य पुरस्कार :–

आरएसएलडीसी को कौशल विकास के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए एसौचेम द्वारा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्किलिंग इंडिया समिट (पुरस्कार वितरण समारोह) 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में सर्वश्रेष्ठ कौशल प्रदाता राज्य के रूप में गोल्ड ट्रॉफी एवं वर्ष 2017–18 में डायमण्ड ट्रॉफी प्रदान की गयी। उत्कृष्ट कार्य हेतु स्कॉच द्वारा वर्ष 2017–18 व 2018–19 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में निगम को दो प्लेटिनम अवार्ड एवं वर्ष 2017–18 व 2019–20 में दो रजत अवार्ड से तथा वर्ष 2022 में 3 विभिन्न श्रेणीयों (Social Inclusion, Skill Development and Technology Intervention) में स्कॉच मेरिट सर्टीफिकेट से सम्मानित किया गया है।

C.8 कौशल राजस्थान लक्ष्य हेतु प्रमुख अभिनव योजनाएं/कार्य :–

1) **नियुक्ति–प्रशिक्षण–नियोजन (RTD)** प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान करने के इच्छुक नियोक्ता/उद्योग सर्वप्रथम आशार्थियों को अन्तिम भर्ती देने के पश्चात् उन्हें प्रशिक्षित कर नियोजन सुनिश्चित करेंगे। इसके अंतर्गत आरएसएलडीसी द्वारा Jewellers Association के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

2) **जेल कैदियों, किशोरों एवं दिव्यागंजनों हेतु प्रशिक्षण** : RSLDC द्वारा लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना के अर्न्तगत विभिन्न प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से जयपुर केन्द्रीय कारागृह, भीलवाड़ा जेल, बालिका सुधार गृह के कैदियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण स्वरोजगार के क्षेत्र यथा हाउसकीपिंग, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, बी.पी.ओ. सेक्टर, टेलरिंग, हैंन्डीक्राफ्ट, में प्रदान किया जा रहा है। निगम का प्रयास है कि राज्य के सभी जिला कारागारों में जेल बंदियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायें।

3) **मुख्यमंत्री कौशल मार्गदर्शन योजना** : विद्यार्थियों में ग्यारहवीं कक्षा से ही उनकी प्रतिभा और अभिरूचि के अनुसार कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री कौशल मार्गदर्शन योजना प्रारंभ की जायेगी। आरएसएलडीसी द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित कर एवं विषय सामग्री तैयार कर स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त सूची अनुसार 905 Vocational Education In-charge (कौशल मित्र) की तीन दिवसीय TOT दिनांक

2–4 फरवरी, 2022 आयोजित की जा चुकी है। इन 905 TOT प्राप्त कौशल मित्रों द्वारा विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा और अभिरुचि अनुसार कौशल विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

4) **विश्व युवा कौशल दिवस** : युवा कौशल विकास की महती भूमिका के प्रति जनमानस में जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से आरएसएलडीसी द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2023 को नवां विश्व युवा कौशल दिवस का आयोजन किया गया। इस अन्तर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन माननीय मंत्री महोदय, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की अध्यक्षता में किया गया। माननीय मंत्री महोदय, की उपस्थिति में 12 स्किल आईकॉन, 2 स्किल आईकॉन इन्टरनेशनल एवं 2 स्किल एम्बैसेडर को सम्मानित किया। कार्यक्रम में युवाओं, प्रशिक्षण प्रदाताओं, रोजगार प्रदाताओं की सक्रिय भागीदारी रही।

5) **स्किल आइकॉन ऑफ दी मंथ (Skill Icon of The Month)** : प्रशिक्षणार्थियों में कौशल प्रशिक्षणों के प्रति रुझान बढाने के उदेश्य से स्किल आईकॉन ऑफ दी मंथ की शुरुआत की गई। आदिनांक तक 111 प्रशिक्षित एवं रोजगारयुक्त युवाओं को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत रु. 11,000 की नकद राशि एवं प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान एवं नियोजकों को भी सम्मानित किया जाता है।

6) **जिला स्तरीय कौशल एवं आजीविका विकास समिति** : राज्य के समस्त जिलों में जिला कलैक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कौशल एवं आजीविका विकास समिति का गठन प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुसरण में किया गया है। समिति की नियमित बैठक आयोजित की जाती है जिसमें जिला स्तर पर कौशल विकास केन्द्रों की प्रगति एवं भावी योजनाओं पर चर्चा की जाती है। 1 अप्रैल 2019 के उपरांत 279 बैठकें आयोजित की जा चुकी है।

7) **कॉमन लाइवलीहुड वैब पोर्टल** : प्रदेश में आरएसएलडीसी, आई टी आई, रोजगार सेवा तथा उद्यमिता आदि साझेदारों द्वारा चलाये जा रहे कौशल संबंधित कार्यक्रम को एकीकृत करने के उद्देश्य से आरएसएलडीसी द्वारा 01 जुलाई 2016 को कॉमन लाईवलीहुड वैबपोर्टल लाइव किया गया है।

8) **एकीकृत योजना प्रबन्धन प्रणाली (Integrated Scheme Management System - ISMS)** निगम की कार्यप्रणाली को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाये जाने के उद्देश्य से निगम में एकीकृत योजना प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से सभी कार्यों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। निगम में अभिव्यक्ति की रूचि से लेकर भुगतान तक सभी कार्य ऑनलाइन किये जा रहे हैं। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा एक नवीन एम.आई.एस. प्रणाली 01 अक्टूबर 2016 को लॉन्च की गयी। इस पोर्टल का उद्देश्य निगम के साथ जुडे हुये विभिन्न हितधारकों यथा आर.एस.एल.डी.सी. प्रबन्धन, राज्य के साथ कनवर्जेंस योजना के तहत जुडे विभिन्न विभाग, प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाऐं, कौशल विकास केन्द्र, प्रशिक्षणार्थी, राज्य एवं जिला कार्य दल, एसेसमेंट एजेन्सियां, रोजगार प्रदाता संस्थाऐं एवं इच्छुक युवा आदि को एक साथ लाना है।

ISMS की मुख्य उपलब्धियां, इस प्रकार हैं :–

- निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं (DDU-GKY, MMKVY (Rajkvik, Saksham & Samarth), MMYKY, PMKVY, MMYSY एवं IM SHAKTI) को आई. एस. एम. एस. पोर्टल पर एकीकृत कर सभी योजनाओं के अंतर्गत अभिव्यक्ति की अभिरुचि (EoI) द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं के चयन से लेकर प्रशिक्षण एवं लाभार्थियों के प्लेसमेंट सूचना की पुष्टि उपरांत प्रशिक्षणप्रदाताओं के भुगतान की ऑनलाइन (End to end computerization) सुविधा प्रदान करना।
- आई. पी. कैमरा द्वारा राज्य के सभी कौशल प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं की उपस्थिति को निगम के कैमरा मॉनिटरिंग सेल से जाँचना, कौशल प्रशिक्षण केंद्रों पर अनियमितता पाये जाने की स्थिति में प्रशिक्षण प्रदाताओं को ऑनलाइन नोटिस जारी कर एवं निश्चित समय अवधि में जवाब तलब कर प्रशिक्षण गुणवत्ता को बनाये रखना है।
- प्रशिक्षणरत युवाओं की आधार पोर्टल द्वारा प्रमाणित रियल टाइम बायोमेट्रिक उपस्थिति को संधारित करना एवं पोर्टल पर उपलब्ध उपस्थिति के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन एवं भुगतान गणना कर विभिन्न रिपोर्ट्स प्रदान करना।

- निगम मोबाईल ऐप के माध्यम से आशार्थियों का पंजीयन, कौशल विकास केन्द्रों की Geo-tagged निरीक्षण सुविधा, संचालित कौशल प्रशिक्षण केंद्रों सूची मय संपर्क विवरण, भौतिक स्थान की जानकारी तथा संचालित सभी योजनाओं की वास्तविक प्रगति इत्यादि प्रदान करना।
- आई.एस.एम.एस. पोर्टल एवं आरपीपी पोर्टल के एकीकरण से प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा किये जाने वाले विभिन्न भुगतान (EMD, PSD, बैच रजिस्ट्रेशन फीस इत्यादि) को प्राप्त कर भुगतान की रसीद उपलब्ध कराना। विभिन्न भुगतान निगम के आई. एस. एम. एस. पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे हैं।
- आई. एस. एम. एस. पोर्टल के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में निगम के प्रशिक्षण प्रदाताओं को भुगतान किये जा रहे हैं।
- कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं के प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं रोजगार की स्थिति को देखने हेतु प्रशिक्षणार्थीवार सूचना उपलब्ध करवाना।
- पोर्टल का लाइव डैशबोर्ड एवं डैशबोर्ड के माध्यम से वर्तमान में चल रहे योजनावार प्रशिक्षण केंद्रों की सूची, बैचों की सूची, प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों की सूची, प्रशिक्षणार्थियों की दैनिक उपस्थिति, प्रशिक्षण प्रदाताओं को किये जा रहे भुगतान की स्थिति एवं कौशल केन्द्रों तथा बैचों की ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया प्रदान करना।
- योजनाओं के अंतर्गत कौशल केंद्रों की निगरानी एवं निर्णय प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिये विभिन्न ऑनलाइन एम.आई.एस. रिपोर्ट्स की उपलब्धता।

9) **प्रथम राजकीय कौशल विश्वविद्यालय की स्थापनाः** प्रथम राजकीय कौशल विश्वविद्यालय "राजस्थान आईएलडी कौशल, विश्वविद्यालय जयपुर" की स्थापना अधिनियम 2017 (2017 का अधिनियम संख्या 6) के अन्तर्गत जयपुर में की गयी है। वर्ष 2023–24 बजट घोषणा बिन्दु संख्या 24.1.0 के तहत कौशल विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया गया है।

10) निजी कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना : इसी क्रम में उच्चतर कौशल में युवाओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुलभ कराने के लिए निजी क्षेत्र में ''भारतीय स्किल डवलपमेंट यूनिवर्सिटी'' की स्थापना मार्च, 2017 में की गयी है।

11) ओवरसीज प्लेसमेन्ट ब्यूरो एवं राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ :

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के तत्वाधान में ''ओवरसीज प्लेसमेन्ट ब्यूरो एवं राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ'' का गठन किया गया हैं। उपरोक्त प्रकोष्ठ की मुख्य गतिविधियां निम्नानुसार हैं :–

इच्छुक श्रमिकों को विदेश में नौकरी के अवसर सम्बन्धित सूचना, परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाना, विदेश में कार्यरत राजस्थान मूल के प्रवासी श्रमिकों की कठिनाईयों के निराकरण हेतु विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास एवं जिला प्रशासन के सहयोग से प्रभावी एवं सार्थक प्रयास किया जाना, जागरूकता शिविरों के माध्यम से सम्भावित प्रवासी श्रमिकों को कानूनी एवं सुरक्षित रूप से विदेश में नौकरी प्राप्त किये जाने हेतु उपलब्ध उपयोगी जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाना, विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के हित में प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार किया जाना, पूर्व प्रस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्य के दक्ष युवाओं को ओवरसीज प्लेसमेन्ट सहायता।

राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिवारजन से प्राप्त शिकायतो के निराकरण हेतु समय–समय पर विदेश मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय दूतावास सउदी अरब, यू.ए.ई, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन एवं जिला प्रशासन के सहयोग से सार्थक प्रयास किये गये हैं। जागरूकता शिविरों के माध्यम से चयनित स्थानों पर युवाओं को विदेश में वैध एवं सुरक्षित रूप से रोजगार प्राप्त किये जाने हेतु उपलब्ध जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। प्रकोष्ठ प्रवासी श्रमिकों के हित में निरन्तर प्रयासरत् हैं।

12. प्रस्थान पूर्व दिशा–निर्देश कार्यक्रम

राजस्थान से काफी संख्या से रोजगार हेतु कामगार विशेष रूप से खाड़ी देशों में प्रति वर्ष प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान पूर्व दिशा–निर्देश कार्यक्रम के माध्यम से सभी चयनित कामगारों (ईसीआर पासपोर्ट धारक) को प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना आवश्यक है। एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क है। प्रस्थान पूर्व दिशा–निर्देश (पीडीओ) का उद्देश्य गंतव्य देश के प्रवासी रोजगार और सम्बन्धित नियम, श्रम कानून, भाषा, रीति–रिवाज एवं संस्कृति, रहन–सहन के तरीके एवं अधिकार और जिम्मेदारियां सम्बन्धित उपयोगी जानकारी प्रदान किया जाना है।

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम को राज्य में जयपुर, सीकर एवं नागौर जिलों में प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्र स्थापित किये जाने के लिए अधिकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जयपुर भारतवर्ष में प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रथम अधिकृत संस्था के रूप में कार्यरत है। पीडीओटी सेन्टर, जयपुर, सीकर एवं नागौर में क्रमशः दिनांक 12.04.2019, 08.08.2019 एवं 27.11.2019 से कार्यरत हैं। उपरोक्त केन्द्रों के माध्यम से माह दिसम्बर, 2023 तक प्रशिक्षित श्रमिकों का प्रगति विवरण निम्नानुसार हैः–

S.No.	Location of PDOT Centre	No. of Batches	No. of candidates trained
1	RSLDC Campus, Jaipur	214	2117
2	Govt. ITI Campus, Sikar	70	1181
3	Govt. ITI Campus, Nagaur	07	117
Total		291	3415

13. विभाग की अन्य महत्वपूर्ण पहलः–

- **भोर (भिक्षुक उन्मुखीकरण एवं पुनर्वास कार्यक्रम)**

आरएसएलडीसी द्वारा पुलिस कमिश्नरेट के साथ समन्वय कर रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं।

- कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु निगम द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का जयपुर में संचालन।
- प्रशिक्षण की कुल अवधि 840 घंटे (105 दिवस) है जिनमें 15 दिवसीय ग्रूमिंग एवं काउन्सलिंग सम्मिलित है।
- प्रशिक्षण की सम्पूर्ण अवधि में भिक्षुकों को प्रतिदिन रूपये 225/– की दर से दैनिक भत्ते का प्रावधान।
- योजना के अन्तर्गत अब तक 100 भिक्षुकों को प्रशिक्षित किया जाकर उनमें से 82 भिक्षुकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

- **जल जीवन मिशन– वाटर सेनीटेशन सपोर्ट ऑर्गेनाईजेशनः** राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के संयुक्त प्रयासों से राज्य के 33 जिलों में जल जीवन मिशन के तहत 39193 युवाओं को प्लम्बिंग, फिटर एवं इलैक्ट्रिशियन के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण दिया गया।
- **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC) तथा आरएसएलडीसी** के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानमंत्री दक्षता और कौशल सम्पन्न हितग्राही (PM-DAKSH) कौशल योजना को पिछड़े वर्गों के लिये आरपीएल, लघु अवधि व दीर्घ अवधि के कौशल विकास कार्यक्रम का संचालन किया गया।
- **ट्रांसजेण्डर का प्रशिक्षण** :– निगम द्वारा पूर्व में पायलट स्तर पर ट्रांसजेण्डर समुदाय को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इसे अब व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा।
- **एचपीसीएल के सहयोग से** स्थानीय आबादी को लाभान्वित करने के लिये रिफाईनरी एवं पेट्रोकेमिकल संबन्धित पाठयक्रमों के लिये जोधपुर एवं बालोतरा राजकीय आईटीआई केन्द्रों पर कौशल प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं।
- **प्रवासना सहायता केन्द्र (Migration Support Center):** आरएसएलडीसी द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को उनके गृह नगर से बाहर प्रवास के दौरान स्वयं की नौकरी बनाये रखने में सहायता करने हेतु 5 प्रवासन सहायता केन्द्र की स्थापना की गई है। इस हेतु निगम द्वारा 90 दिनों के लिये निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गयी।

- **वर्ल्ड स्किल्स अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिता :–** वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक दो वर्ष में किया जाता है। स्किल्स प्रतियोगिताऐं भारत में कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने एवं युवाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण को आकांक्षी बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। वर्ष 2022 में राजस्थान की चार्मी सैन ने हेयर ड्रेसिंग ट्रेड में फिनलैंड एवं जय किशन सुथार ने जोइनरी ट्रेड में स्वीज़रलैंड में आयोजित वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता में भाग लिया है।
- **इंडिया स्किल्स–2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता :–** इंडिया स्किल्स–2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान को 1 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य एवं 5 उत्कृष्ट प्रदर्शन पदक से सम्मानित किया गया। इंडिया स्किल्स से प्रतियोगिताऐं भारत में कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने एवं युवाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण को आकांक्षी बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

14) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम का वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार है:-

Scheme Name	Budget Head	BE 2022-23			RE 2022-23			Actual Release 2022-23		
		SF	CA	Total	SF	CA	Total	SF	CA	Total
State Schemes	2230-02-190-(01)-[01]-12	3434.00	0.00	**3434.00**	5150.00	0.00	**5150.00**	5150.00	0.00	**5150.00**
	2230-02-190-(01)-[02]-12	674.00	0.00	**674.00**	1010.00	0.00	**1010.00**	1010.00	0.00	**1010.00**
	2230-02-190-(01)-[03]-12	892.00	0.00	**892.00**	1340.00	0.00	**1340.00**	1340.00	0.00	**1340.00**
Sub Total Schemes		**5000.00**	**0.00**	**5000.00**	**7500.00**	**0.00**	**7500.00**	**7500.00**	**0.00**	**7500.00**
PMKVY	2230-02-190-(02)-[01]-12	0.00	0.01	**0.01**	0.00	0.01	**0.01**	0.00	0.01	**0.01**
	2230-02-190-(02)-[02]-12	0.00	0.01	**0.01**	0.00	0.01	**0.01**	0.00	0.01	**0.01**
	2230-02-190-(02)-[03]-12	0.00	0.01	**0.01**	0.00	0.01	**0.01**	0.00	0.01	**0.01**
Sub Total Scheme		**0.00**	**0.03**	**0.03**	**0.00**	**0.03**	**0.03**	**0.00**	**0.03**	**0.03**
SANKALP	2230-02-190-(03)-[01]-12	0.01	0.01	**0.02**	0.01	0.01	**0.02**	0.01	0.01	**0.02**
	2230-02-190-(03)-[02]-12	0.01	0.01	**0.02**	0.01	0.01	**0.02**	0.01	0.01	**0.02**
	2230-02-190-(03)-[03]-12	0.01	0.01	**0.02**	0.01	0.01	**0.02**	0.01	0.01	**0.02**
Sub Total Scheme		**0.03**	**0.03**	**0.06**	**0.03**	**0.03**	**0.06**	**0.03**	**0.03**	**0.06**
	Grand Total	**5000.03**	**0.06**	**5000.09**	**7500.03**	**0.06**	**7500.09**	**7500.03**	**0.06**	**7500.09**